

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

(2) श्रीमती आभा अस्थाना की उक्त अवकाश अवधि में उनका
प्रभार श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे संचालक, आरसीबीपी नरोन्हा
प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों
के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी
रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक, आरसीबीपी
नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक,
अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सरकारी
प्रक्रोष्ट) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती आभा अस्थाना द्वारा महानिदेशक, आरसीबीपी
नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक,
अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सरकारी
प्रक्रोष्ट) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1965

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राकेश अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-524-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 20 मई से 7 जून 2013 तक, उनीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ-साथ दिनांक 18, 19 मई 2013 एवं 8, 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संजय कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री रजनीश वैश्य आयएएस., विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खेरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 13 से 24 मई 2013 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 मई 2013 एवं 25, 26 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खेरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खेरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खेरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 28 अप्रैल एवं 5 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में श्री इलैया राजा टी., भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इलैया राजा टी., कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 मई 2013

क्र. ई-5-842-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा, आयएएस., अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर/चम्बल संभाग को दिनांक 6 से 17 मई 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 एवं 18, 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर/चम्बल संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेन्द्र पाल सिंह सलूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 मई 2013

क्र. ई.-5-501-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 1 से 10 मई 2013 तक, दस दिन का एक्स. इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस, आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 मई 2013

क्र. ई.-5-736-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, लिमि. (ट्रायफेक) को दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश

राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन, लिमि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-861-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती के. वासुकी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रत्लाम को पूर्व में स्वीकृत अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 मई से 6 जुलाई 2013 तक, तिरसठ दिन का शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2013 के पश्चात् वर्ती सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती के. वासुकी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रत्लाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती के. वासुकी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती के. वासुकी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-5-910-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती षणमुख प्रिया आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 8 से 17 मई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 मई 2013

क्र. ई.-5-632-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 13 से 17 मई 2013 तक, पांच दिन

का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 मई एवं 18, 19 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-853-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एन. बी. एस. राजपूत, आयएएस., कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 6 से 10 मई 2013 तक, पांच दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 5 मई एवं 11, 12 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एन. बी. एस. राजपूत की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार बाजपेई, राप्रसे अपर कलेक्टर, जिला मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एन. बी. एस. राजपूत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एन. बी. एस. राजपूत द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार बाजपेई, कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एन. बी. एस. राजपूत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. बी. एस. राजपूत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-865-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री वी. किरण गोपाल, आयएएस., अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) को दिनांक 16 से 24 मई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वी. किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री वी. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री वी. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2013

क्र. ई.-5-785-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 3 से 10 जून 2013 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. के. पाराशर, भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. पाराशर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-805-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 27 मई से 29 जून 2013 तक, चाँतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-826-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., संचालक, कौशल विकास, जबलपुर को दिनांक 2 से 17 मई 2013 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2013

क्र. ई.-5-792-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., कलेक्टर, जिला श्योपुर को 20 मई से 7 जून 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मई 2013 एवं दिनांक 8, 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला श्योपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-854-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 20 मई से 7 जून 2013 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मई 2013 एवं दिनांक 8, 9 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री पी. के. श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवपाल सिंह, कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. एफ ए 5-04-2011-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सुभाष रावसाहेब काकड़े, माननीय न्यायाधिपति श्री भगवान दास राठी, माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र कुमार मुदगल और माननीय न्यायाधिपति श्री धर्मध्वज कुमार पालीवाल जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के 13025-3-2012-यूएस-II, दिनांक 25 मार्च 2013 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद पर कार्यभार दिनांक 1 अप्रैल 2013 को पूर्वान्ह में ग्रहण किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. एफ-3-2-2013-1-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगर परिषद् सांची, जिला रायसेन एवं नगर परिषद् चुरहट, जिला सीधी के आम निर्वाचन 2013 हेतु मतदान दिनांक 24 मई 2013 शुक्रवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्रान्त लिखित अधिनियम (निर्गोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

क्र. एफ-3-2-2013-1-4.—राज्य शासन, एतद्वारा, नगर परिषद् गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने हेतु निर्वाचन मतदान दिनांक 27 मई 2013 सोमवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है।

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये परक्रान्त लिखित अधिनियम (निर्गोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. बी-1-27-2013-2-एक.—सुश्री वंदना मेहरा (आर. आर. 2006), राप्रसे, डिप्टी कलेक्टर, शाजापुर ने आवेदन पत्र दिनांक 20 मार्च 2013 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती वंदना मेहरा अटूट परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री वंदना मेहरा, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम कु. वंदना मेहरा के स्थान पर श्रीमती वंदन मेहरा अटूट परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती वंदना मेहरा अटूट के सेवा अभिलेखों में की जाए।

भोपाल, दिनांक 3 मई 2013

क्र. बी-1-28-2013-2-एक.—सुश्री सपना स्मृति खेमरिया (आर आर 2012), राप्रसे, परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, छतरपुर ने आवेदन-पत्र दिनांक 4 अप्रैल 2013 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती सपना त्रिपाठी परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन, एतद्वारा सुश्री सपना स्मृति खेमरिया, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम कु. सपना स्मृति

खेमरिया के स्थान पर श्रीमती सपना त्रिपाठी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती सपना त्रिपाठी के सेवा अभिलेखों में की जाए।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., कलेक्टर, जिला राजगढ़ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मई 2013 द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 28 अप्रैल एवं 5 मई 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोंसले, अवर सचिव “कार्मिक”

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2013

क्र. डी-17-27-2004-चौदह-3.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2010 के अनुक्रम में राज्य कृषक आयोग की कार्यावधि दिनांक 30 अप्रैल 2014 तक बढ़ाइ जाती है एवं श्री कैलाश पाटीदार, इन्दौर को उक्त अवधि के लिये राज्य कृषक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मई 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 04), राज्य शासन, सुश्री निधि मोदिता पिण्टो पुरी श्री जेवियर पिण्टो को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला न्यू देहली है। उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त, 1978 है।

भोपाल, दिनांक 21/22 मई 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 13), राज्य शासन, श्री प्रियंक भारद्वाज पिता श्री मणिकांत श्रोती को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीगढ़ (उ. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 26 दिसम्बर, 1986 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 28), राज्य शासन, श्री मुकेश गुप्ता पिता श्री राम अवतार गुप्ता को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल- न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मेवात (हरियाणा) है। उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 59), राज्य शासन, श्री राघवेन्द्र पटेल पिता श्री हरिशचन्द्र पटेल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (म. प्र.) है। उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर, 1981 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 62), राज्य शासन, सुश्री सुरुचि यादव पिता श्री सुलतान सिंह यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है। उसकी जन्मतिथि 23 मई, 1985 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 67), राज्य शासन, श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी पिता श्री श्रवण कुमार भण्डारी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शाजापुर है। उसकी जन्मतिथि 04 अगस्त, 1987 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 84), राज्य शासन, श्रीमती सुनीता ताराम पिता स्व. श्री मंगलसिंह ताराम को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बालाघाट है। उसकी जन्मतिथि 27 मई, 1977 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 93), राज्य शासन, सुश्री दिव्या उर्झके पिता श्री गुलाब सिंह उर्झके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला मण्डला है। उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1985 है।

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 39), राज्य शासन, श्री प्रीतम बंसल पिता श्री रामभज बंसल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देहली है। उसकी जन्मतिथि 19 जून, 1982 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 58), राज्य शासन, श्री पियूष भावे पिता श्री राजकुमार भावे को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है। उसकी जन्मतिथि 28 अगस्त, 1987 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 81), राज्य शासन, सुश्री उमिला चौहान पिता श्री कौशिक भाभा चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी है। उसकी जन्मतिथि 26 जून, 1983 है।

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 85), राज्य शासन, श्री महेन्द्र सिंह रावत पिता श्री विक्रम सिंह रावत को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला अलीराजपुर है। उसकी जन्मतिथि 21 जून, 1986 है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. एफ 1(ए)73-2008-ब-2-दो.—श्री अनुराग, भापुसे, (2003) पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को दिनांक 20 से 30 मई 2013 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 में भारत भ्रमण के अन्तर्गत

सपरिवार येरकाड सेलम (तमिलनाडू) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. श्री अनुराग | - स्वयं |
| 2. श्रीमती पद्मप्रिया | - पत्नी |
| 3. सुप्रजा | - पुत्री |
| 4. आकृति | - पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री अनुराग, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते में घटाये जायेंगे।

क्र. एफ 1(ए)128-2004-ब-2-दो.—श्री एम. के. कटकवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण लेखा), पु. मु. भोपाल को दिनांक 27 मई से 10 जून 2013 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 25, 26 मई 2013 एवं 08, 09 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत पूरा (महाराष्ट्र) की अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. श्री एम. के. कटकवार | - स्वयं |
| 2. श्रीमती संतोष कटकवार | - पत्नी |
| 3. कु. अपूर्वा कटकवार | - पुत्री |

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री हेमत चौहान, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. कटकवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन उप पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण लेखा), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. कटकवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण लेखा), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्ठिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्वेशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. कटकवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. कटकवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2013

क्र. एफ 6-11-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करता है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिले का नाम (3)	सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम (4)
1	दमोह	दमोह	1. डॉ. निखिल शिवहरे 2. डॉ. श्रीमती रचना श्रीवास्तव

No. F 6-11-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Damoh	Damoh	1. Dr. Nikhil Shivhare	Member
			2. Dr. Smt. Rachna Shrivastava	Member

क्र. एफ 6-11-2013-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करता है, और (ख) उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :—

अनुसूची

क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला (राजस्व-जिला)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दमोह	दमोह	1. श्री सुधीर जैन विद्यार्थी 2. श्री प्रशांत असाटी 3. श्री सुनील बेजीटेरियन 4. श्रीमती विनीता बरेले 5. श्रीमती भावना सोनी
			अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य

No. F 6-11-2013-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such committee under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Damoh	Damoh	1. Shri Sudhir Jain Vidyarthi 2. Shri Prashant Asati 3. Shri Sunil Bejitarian 4. Smt. Vinita Barele 5. Smt. Bhawana Soni
			Chair person Member Member Member Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
खेमराज माहौर अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 23 मई 2013

फा. क्र. 17(ई)-43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13.—इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई 2013 के हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ में सारणी में अनुक्रमांक 1, 8, 9, 35, 40, 46, 48, 51, 52, 59, 65, 70, 72, 73, 81 एवं 86 में आएं शब्दों के स्थान संबंधित प्रविष्टियों को नीचे दी गई सारणी के अनुसार पढ़ा जाएं :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेन्द्र देवड़ा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
8	श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	सेंधवा	बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी	1. सेंधवा 2. बड़वानी*
9	श्री संजय राज ठाकुर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बैतूल	बैतूल	बैतूल	बैतूल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35	श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद
40	श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
46	श्री अजयकांत पाण्डे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	मुरैना	मुरैना	मुरैना	मुरैना
48	श्री राम सिंह कनौजिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
51	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	मनासा	नीमच	मनासा	मनासा
52	श्री मनीष कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	पवई	पन्ना	1. पवई 2. पन्ना	1. पवई 2. पन्ना*
59	श्री मनोज कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	सिरमौर	रीवा	सिरमौर	सिरमौर
65	श्री अरुण कुमार सिंह (जूनि.) व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बुदनी	सीहोर	बुदनी	बुदनी
70	श्री रवि झरोला, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर
72	श्री जितेन्द्र कुमार बाजौलिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर
73	श्री हिमांशु कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
81	श्री रामसिंह बघेल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	श्री अरविंद डारिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव
1	Shri Rajendra Devda, IIInd Civil Judge Class-I.	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur	Alirajpur
8	Shri Rajendra Kumar Patidar IIInd AJ to the Court of Civil Judge Class-2.	Sendhwa	Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani	1. Sendhwa 2. Barwani *
9	Shri Sanjay Raj Thakur IIIrd Civil Judge Class-I.	Betul	Betul	Betul	Betul
35	Shri Mahendra Kumar Tripathi, Civil Judge Class-I.	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad	Hoshangabad
40	Shri Prempal Singh Thakur, Ist Civil Judge Class-2.	Jhabua	Jhabua	Jhabua	Jhabua
46	Shri Ajaykant Pandey, Ist AJ to the Court of Ist Civil Judge Class-I.	Morena	Morena	Morena	Morena
48	Shri Ram Singh Kannojiya, Narsinghpur AJ to the Court of Civil Judge Class-I.	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur	Narsinghpur
51	Shri Rajendra Kumar, Ist Civil Judge Class-I.	Manasa	Neemuch	Manasa	Manasa
52	Shri Manish Kumar Singh, Civil Judge, Class-2	Pawai	Pawai	1. Pawai 2. Panna	1. Pawai 2. Panna*
59	Shri Manjo Kumar Singh, Ist Civil Judge Class-I.	Sirmour	Rewa	Sirmour	Sirmour
65	Shri Arun Kumar Singh (Jr.), Budhni Civil Judge Class-I.	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
70	Shri. Ravi Jharola, Ist AJ to the Court of Civil Judge Class-I.	Shajapur	Shajapur	Shajapur	Shajapur
72	Shri Jitendra Kumar, Bajauliya, IIInd Civil Judge Class-I.	Sheopur	Sheopur	Sheopur	Sheopur
73.	Shri Hinanshu Kaushal, IIInd AJ to the Court of Ist. Civil Judge Class-2.	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri	Shivpuri
81	Shri Ram Singh Baghel, IIInd Civil Judge Class-2.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	Shri Arwind Dariya, AJ to the Court of Civil Judge Class-2.	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

- नोट.—1.** *न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सेंधवा, पवई एवं ब्यावरा क्रमशः ग्राम न्यायालय बड़वानी, पन्ना एवं राजगढ़ में स्थित ग्राम न्यायालय में प्रत्येक माह के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे।
2. अधिसूचना में वर्णित अन्य प्रविष्टियां यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
आदेश
भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ. 67-1-12-तीन-510.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पसान जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन में श्री दिलीप घोष अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, पसान, जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला

निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पत्र क्र. 166-न.प.नि.-स्था. निर्वा.-11-12, दिनांक 31 मार्च, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दिलीप घोष द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल, 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री दिलीप घोष को नोटिस दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 6 जून 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त 2012 में लेख किया कि “श्री दिलीप घोष द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।” आयोग द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 19 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा

निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दिलीप घोष को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् पसान, जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ. 67-1-12-तीन-511.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, पसान जिला अनूपपुर के आम निर्वाचन में श्रीमती नीरू रूंगटा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद् पसान, जिला अनूपपुर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी, 2012 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था। किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पत्र क्र. 166-न.प.नि.-स्था. निर्वा.-11-12, दिनांक 31 मार्च, 2012 के

द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती नीरू रूंगटा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती नीरू रूंगटा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल, 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्रीमती नीरू रूंगटा को नोटिस दिनांक 22 मई, 2012 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 6 जून 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, अनूपपुर ने अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त 2012 में लेख किया कि “श्रीमती नीरू रूंगटा द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।” आयोग द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 19 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती नीरू रूंगटा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् पसान, जिला अनूपपुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 3626-अका-2013-विप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अगस्त, 2013 से आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निर्मांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी:—

स. क्र.	प्रश्न-पत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)
दिनांक 5 अगस्त, 2013		
1	प्रश्न-पत्र पहला— प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2	प्रश्न-पत्र पहला—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	—तदैव—
3	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	प्रश्न-पत्र पहला —सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, —तदैव—	
59	प्रश्न-पत्र—विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	प्रश्न-पत्र दूसरा—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	प्रश्न-पत्र दूसरा— सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	प्रश्न-पत्र —समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. —तदैव—	
60	प्रश्न-पत्र—भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
9	प्रश्न-पत्र पहला —प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

(1)

(2)

(3)

दिनांक 6 अगस्त, 2013

- 10 प्रश्न-पत्र—सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
- 11 प्रश्न-पत्र—पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की (पुस्तकों सहित)
- 12 प्रश्न-पत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 13 प्रश्न-पत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 14 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 61 प्रश्न-पत्र—विद्युत् संस्थापनाएं—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 15 प्रश्न-पत्र—पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये। दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
- 16 प्रश्न-पत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 17 प्रश्न-पत्र तीसरा— बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये। —तदैव—
- 18 प्रश्न-पत्र—समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 19 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 62 प्रश्न-पत्र—लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—

दिनांक 7 अगस्त, 2013

- 20 प्रश्न-पत्र तीसरा— प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
- 21 प्रश्न-पत्र—पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 22 प्रथम—वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये। —तदैव—
- 23 प्रश्न-पत्र पहला —प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये। —तदैव—

(1)	(2)	(3)
24 प्रश्न-पत्र— “व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. —तदैव—
63 प्रश्न-पत्र—स्वच्छ गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		
25 प्रश्न-पत्र—कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26 प्रश्न-पत्र प्रथम— दाण्डक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
27 प्रश्न-पत्र—“पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)		—तदैव—
28 प्रश्न-पत्र दूसरा— सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.		—तदैव—
29 प्रश्न-पत्र तीसरा—सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.		—तदैव—
30 प्रश्न-पत्र—स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
31 प्रश्न-पत्र चौथा —सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा —तदैव— परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		
32 प्रश्न-पत्र—समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
64 प्रश्न-पत्र—विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—

दिनांक 8 अगस्त, 2013

33 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34 प्रश्न-पत्र प्रथम —लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
35 प्रश्न-पत्र प्रथम —लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
36 प्रश्न-पत्र—“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
37 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
38 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांस्थिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
39 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)

(2)

(3)

- 40 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक।
—तदैव—
- 41 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये।
- 66 प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 42 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। दोपहर 2.00 बजे से
शाम 5.00 बजे तक।
- 43 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 44 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 67 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—

दिनांक 12 अगस्त, 2013

- 45 प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 11.00 बजे तक।
—तदैव—
- 46 प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये।
- 47 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से
दोपहर 1.00 बजे तक।
- 48 प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 49 प्रश्न-पत्र द्वितीय—मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 50 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये। —तदैव—
- 65 प्रश्न-पत्र दूसरा— दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 68 प्रश्न-पत्र तृतीय— महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 51 प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये। दोपहर 2.00 बजे से
शाम 4.00 बजे तक।
- 52 प्रश्न-पत्र —लेखा प्रथम भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—

(1)

(2)

(3)

53 प्रश्न-पत्र—सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54 प्रश्न पत्र तृतीय— प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
55 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
56 प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया -द्वितीय (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
57 प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
69 प्रश्न-पत्रचतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

दिनांक 13 अगस्त, 2013

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक.
---	---

नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी। उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी।
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर. सी. वी. पी. नरोन्हो, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 अगस्त 2013 तक भेजेंगे।
- जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें। उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है। एस.सी./एस.टी. दर्शकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय।

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 20 मई 2013

क्र. 22-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	पाली	5.94	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर / 4 आर, 1 आर, 3 आर / 1 आर माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।				
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।				
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।				

फार्म एक (3)

ग्राम पाली, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर के शीतला माता शाखा नहर की 2 आर/4 आर, 1 आर, 3 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर, 2 आर / 4 आर	666	1.28	0.02	
2		665	1.20	0.17	
3		664	0.94	0.10	
4		662	1.49	0.16	
5		487	2.28	0.21	
6		488	2.60	0.08	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7		472	0.25	0.01	
8		471	0.31	0.03	
9		469	0.38	0.03	
10		468	0.31	0.03	
11		467	0.16	0.03	
12		465	0.39	0.04	
13		464	0.29	0.01	
14		514	1.14	0.04	
15		515	0.45	0.04	
16		516	0.38	0.06	
17		518	0.98	0.08	
18		519	1.37	0.15	
19		521	0.97	0.06	
20		529	1.01	0.07	
21		531	1.52	0.06	
22		445	1.25	0.01	
23		444	0.72	0.02	
24		443	0.31	0.03	
25		442	0.38	0.07	
26		413	0.97	0.06	
27		415	0.25	0.01	
28		412	1.12	0.06	
29		409	0.83	0.06	
30		401	0.79	0.10	
31		402	0.17	0.01	
32		394	0.64	0.12	
33		263	0.94	0.05	
34		391	0.65	0.01	
35		268	0.19	0.02	
36		267	1.36	0.14	
37		183	0.74	0.08	
38		180/मिन	0.48	0.11	
39		180/मिन	0.48		
40		174	2.09	0.14	
41		50	1.49	0.16	
42		46	0.30	0.01	
43		47	2.01	0.01	
44		49	1.78	0.10	
45	1 आर	2142	0.60	0.01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46		2144	1.10	0.09	
47		2139	1.33	0.06	
48		2145	0.86	0.07	
49		2147	1.24	0.01	
50		2146	1.24	0.20	
51		2184	0.84	0.08	
52		2262	1.19	0.01	
53		2259	0.46	0.08	
54		2258	0.34	0.13	
55		2256	0.19	0.08	
56		2228	0.55	0.12	
57		2234	0.50	0.01	
58		2233	0.74	0.13	
59		2237	0.21	0.01	
60		2238	0.54	0.10	
61		2240	0.49	0.09	
62		2255	0.17	0.01	
63		2241	0.23	0.05	
64		1969	0.65	0.01	
65		2680	0.21	0.02	
66		2679	2.80	0.32	
67		1994	0.51	0.07	
68		1995	0.36	0.07	
69		1996	0.61	0.13	
70		1997	1.48	0.14	
71		1999	0.46	0.12	
72		2000	1.03	0.01	
73		2064	0.55	0.07	
74		2063	0.18	0.12	
75		2066	0.56	0.07	
76		2067	0.47	0.04	
77		2080	1.19	0.08	
78		2094	0.70	0.11	
79		2093	0.70	0.07	
80		2141	0.60	0.10	
81	3 आर / 1 आर	2243	0.48	0.02	
82		2244	1.10	0.07	
83		2296	0.24	0.09	
84		2297	0.33	0.01	

कुल : 5.94

क्र. 23-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	हडियापुरा	0.12	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु।
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।				
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।				
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।				

फार्म एक (3)

ग्राम हडियापुरा, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.	1/मिन	1.21	0.12	
2		1/मिन	0.03		
				कुल योग : 0.12	

क्र. 24-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	भयपुरा	0.47	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर / 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।				
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।				
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।				

फार्म एक (3)

ग्राम भयपुरा, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर / 1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.				
1		268	1.46	0.09	
2		266	2.66	0.18	
3		115	0.70	0.16	
4		114	2.43	0.04	
				कुल योग :	<u>0.47</u>

क्र. 25-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	जंगलपुरा	0.79	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1एल/1आर/1आर माइनर के निर्माण हेतु.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.				
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है.				
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.				

फार्म एक (3)

ग्राम जंगलपुरा, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल/1 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.				
1		362	0.57	0.10	
2		359	0.71	0.10	
3		358	0.51	0.01	
4		350	0.56	0.02	
5		351	0.91	0.10	
6		352	0.27	0.02	
7		353	0.34	0.06	
8		347	0.40	0.01	
9		347/368	0.23	0.08	
10		346	0.55	0.01	
11		344	0.79	0.05	
12		345	1.02	0.11	
13		337	0.58	0.01	
14		338	1.11	0.11	
कुल योग :					0.79

क्र. 26-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	गुहीसर	1.35	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1आर/1आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।				
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।				
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।				

फार्म एक (3)

ग्राम गुहीसर, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.				
1		968	1.11	0.15	
2		970	0.20	0.06	
3		971	0.44	0.06	
4		973	0.80	0.12	
5		974	0.80	0.17	
6		976	0.14	0.04	
7		951	0.20	0.02	
8		980	0.24	0.08	
9		981	0.27	0.05	
10		985	0.09	0.03	
11		990	0.45	0.08	
12		984	1.17	0.15	
13		987	0.39	0.01	
14		988	0.42	0.02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15		989	0.28	0.06	
16		1029	0.54	0.10	
17		1028	0.43	0.08	
18		1025	0.63	0.05	
19		1024	1.16	0.02	
				कुल योग :	<u>1.35</u>

क्र. 27-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	चम्हेड़ी	5.88	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल/1आर, 1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

फार्म एक (3)

ग्राम चम्हेड़ी, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल/1 आर, 1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.				
1		1431	1.37	0.02	
2		1429	0.30	0.02	
3		1432	0.88	0.16	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4		1423	3.46	0.23	
5		1040	0.97	0.11	
6		1039	0.53	0.02	
7		1042	2.08	0.12	
8		1050	1.52	0.07	
9		1046	0.95	0.34	
10		1045	2.34	0.11	
11		1055	0.78	0.02	
12		1057	0.51	0.05	
13		1056	1.01	0.20	
14		1395	0.90	0.02	
15		1393	2.05	0.06	
16		1394	0.51	0.12	
17		1365	1.02	0.14	
18		1367	1.31	0.01	
19		1366	1.00	0.06	
20		1354	0.69	0.10	
21		1353	0.59	0.02	
22		1339	1.20	0.08	
23		1340	0.75	0.06	
24		1325	1.98	0.27	
25		1308	0.65	0.16	
26		1306	0.51	0.18	
27		1299	2.55	0.16	
28		1301	1.33	0.16	
29		1283	2.53	0.16	
30		1253	5.56	0.31	
31		1255	0.57	0.33	
32		1256	0.55	0.07	
33		1246	0.49	0.01	
34		1244	1.49	0.08	
2 एल/1 आर माइनर				3.83	
35		1365	1.02	0.08	
36		1355	0.68	0.04	
37		1356	1.73	0.07	
38		1351	0.45	0.06	
39		1349	0.65	0.07	
40		1343	0.65	0.01	
41		1319	0.46	0.08	
42		1318	1.23	0.01	
43		1313	0.39	0.09	
44		1312	2.53	0.11	
45		1314	0.83	0.03	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46		1270	0.45	0.04	
47		1268	0.43	0.01	
48		1269	1.26	0.16	
49		1264	1.53	0.17	
50		1261	0.54	0.11	
51		1277	2.06	0.02	
52		1260	1.52	0.09	
53		1223	0.95	0.09	
54		1224	0.60	0.06	
55		615	0.59	0.11	
56		616	0.62	0.06	
57		613	0.56	0.06	
58		612	0.20	0.01	
59		611	0.62	0.11	
60		583	0.79	0.07	
61		584	0.71	0.04	
62		582	0.78	0.07	
63		1345	0.49	0.11	
64		610	1.61	0.01	
1-आर माइनर				2.05	
कुल योग :				5.88	

क्र. 28-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर्स में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भिण्ड	गोहद	छैटा (करवास)	2.99	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.)	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 आर/1 आर, 1 एल/1 आर/1आर माइनर के निर्माण हेतु।	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

फार्म एक (3)

ग्राम छेरैटा करवास, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/1 आर, 1 एल/1 आर/1 आर माइनर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक (3)	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में) (4)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में) (5)	रिमार्क (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर. 3 आर/1 आर माइनर				
1		671	0.90	0.17	
2		673	0.25	0.01	
3		677	0.87	0.12	
4		676	0.76	0.01	
5		657	1.76	0.12	
6		685	1.18	0.11	
7		716	0.08	0.02	
8		683	0.48	0.10	
9		682	0.37	0.05	
10		684	0.61	0.04	
11		715	0.13	0.02	
12		694	0.06	0.01	
13		695	0.07	0.01	
14		690	0.07	0.01	
15		692	0.06	0.01	
16		691	0.07	0.03	
17		689	0.06	0.02	
18		688	0.21	0.03	
19		693	0.07	0.01	
20		637	0.55	0.05	
21		636	0.55	0.07	
22		635	0.62	0.08	
23		634	1.29	0.01	
24		631/मिन 1	0.10	0.04	
25		631/मिन 2	0.22		
26		632	0.55	0.11	
27		629	0.62	0.02	
28		172	2.16	0.03	
29		189	0.30	0.02	
30		191	0.32	0.06	
31		207	0.46	0.07	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32		205	0.26	0.06	
33		204	0.29	0.06	
34		193	0.19	0.04	
35		192	0.42	0.07	
36		196	1.53	0.17	
37		208	0.33	0.02	
38		185	0.57	0.01	
39		213	1.08	0.05	
40		216	0.11	0.01	
41		217	0.28	0.04	
42		218	0.35	0.02	
43		137	1.10	0.04	
44		138	0.49	0.08	
45		139	0.22	0.05	
46		140	0.14	0.01	
47		141/1	0.24	0.01	
48		141/2	0.77		

1 एल/1 आर/1 आर माइक्रो

49		1113	0.47	0.07
50		1115	1.16	0.14
51		1119	0.40	0.10
52		1120	0.08	0.01
53		1118	0.52	0.02
54		1125/मिन	0.30	0.03
55		1125/मिन	0.31	
56		1126	0.29	0.08
57		1127	0.56	0.01
58		1128	0.10	0.01
59		1129	1.24	0.10
60		1133	0.33	0.07
61		1135	0.28	0.02
62		1134	0.41	0.13
			कुल योग :	<u>2.99</u>

क्र. 29-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः धू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	कल्याणपुरा	2.20	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर, 3 आर/1 आर माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

फार्म एक (3)

ग्राम कल्याणपुरा, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर, 3 आर/1 आर/ माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.				
1	1 आर/1 आर	272	0.54	0.04	
2		274	0.57	0.12	
3		265	1.38	0.15	
4		206	1.55	0.11	
5		263/मि	1.11	0.02	
6		263/मिन	0.30		
7		264	0.49	0.01	
8		262/मिन	1.50	0.13	
9		262/मिन	0.20		
10		255	2.71	0.23	
11		214	1.48	0.20	
12		212	0.79	0.02	
13		215	0.55	0.16	
14		207	0.41	0.02	
15		200	5.26	0.21	
16		204	1.02	0.11	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17		203	2.20	0.23	
18	3 आर/1आर	274	0.87	0.08	
19		275	0.96	0.06	
20		277/मिन	0.72		0.08
21		277/मिन	0.73		
22		278	0.58	0.12	
23		260	1.48	0.01	
24		279	0.12	0.03	
25		280	0.49	0.06	
				कुल योग :	<u>2.20</u>

क्र. 30-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	अन्नायच	0.43	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर, माइनर के निर्माण हेतु।
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।				
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।				
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।				

फार्म एक (3)

ग्राम अन्नायच, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/1 आर, माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर।	538	0.16	0.02	
2		539	1.60	0.22	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3		548/मिन	0.88	0.19	
4		548/मिन	1.11		
				कुल योग :	<u>0.43</u>

क्र. 31-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भिण्ड	गोहद	करवास	3.61	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 आर/1 आर, माझनर, माझनर के निर्माण हेतु.	
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।					
(3)	सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।					
(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।					

फार्म एक (3)

ग्राम करवास, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 3 आर/1 आर माझनर, माझनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर.	453	0.31	0.05	
2	करवास	454	1.03	0.11	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3		452/1	0.47		
4		452/2	0.46	0.07	
5		452/3	0.47		
6		457/मिन	0.30		0.10
7		457/मिन	0.31		
8		466/मिन	0.60	0.03	
9		466/मिन	1.02		
10		465	3.52	0.32	
11		464	1.40	0.06	
12		470	0.44	0.01	
13		438	2.31	0.16	
14		349/1	0.91	0.21	
15		349/2	0.90		
16		350	0.65	0.01	
17		351	0.78	0.12	
18		352/मिन	0.85	0.17	
19		352/मिन	0.85		
20		321	0.93	0.10	
21		322	1.78	0.04	
22		136	1.17	0.19	
23		140	0.42	0.03	
24		141	0.38	0.06	
25		142	0.37	0.06	
26		144	1.40	0.20	
27		145	0.75	0.07	
28		66	1.04	0.10	
29		65/मिन	0.32	0.02	
30		65/मिन	0.06		
31		64	1.38	0.11	
32		191	0.35	0.06	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33		190	0.74	0.01	
34		188	0.51	0.08	
35		193	0.96	0.02	
36		187	0.36	0.07	
37		195	0.44	0.06	
38		185	0.62	0.07	
39		196	0.13	0.01	
40		752	0.48	0.03	
41		754	0.98	0.16	
42		755	1.15	0.01	
43		756	1.29	0.02	
44		761	0.51	0.05	
45		763	1.56	0.08	
46		764	0.62	0.07	
47		765	0.56	0.08	
48		766	2.28	0.18	
49		757	1.91	0.14	
50		760	2.89	0.01	

कुल योग : 3.61

क्र. 32-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
भिंड	गोहद	डिरमन	0.94	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.)	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु।

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) सर्वे नम्बरान की विस्तृत सूची संलग्न है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीबास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

फार्म एक (3)

ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं.

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की
1 आर माइनर के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2, संभाग ग्वालियर।				
1		1121	0.77	0.09	
2		1125	0.83	0.17	
3		1124	0.81	0.17	
4		1123	1.03	0.01	
5		1122	1.50	0.01	
6		1116	0.85	0.16	
7		1117	1.00	0.05	
8		1118	0.88	0.10	
9		1119	0.67	0.09	
10		1120	0.70	0.09	

कुल योग : 0.94

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 7 मई 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दतिया	दतिया	ढांकरी	0.82	कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र.-9, दतिया (म. प्र.).
				लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कासना नाला नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

दतिया, दिनांक 16 मई 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना की जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दतिया	दतिया	बसवाहा	0.54	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डबलपरमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर (म. प्र.).
				दतिया भाण्डेर (एम. डी. आर.) टोल प्लाजा के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भौंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 9 मई 2013

क्र. 37-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) बालाघाट	(2) कटंगी	(3) अर्जुननाला प.ह.न. 10/1	(4) 9.379 हेक्टर (सरचना सहित)	(5) उप मुख्य अभियंता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र).	(6) कटंगी से तिरोडी बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य के प्रयोजन हैं.

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 1138-भ-अर्जन-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) इटवाँ कोठार	(4) 1.50	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग-रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की अकौना माइनर की उपशाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 20 मई 2013

क्र. 1175-भ-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) भीटा	(4) 13.140	(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-2 देवलौंद, मुख्यालय गोविन्दगढ़।	(6) गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थित परिस्पत्तियों का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1177-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) चौड़ियार	(4) 3.480	(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-2 देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़.	(6) गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1179-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) गेरुआरी	(4) 4.200 169	(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-2 देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़.	(6) गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1181-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) बरिगांव	(4) 4.620	(5) कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-2 देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़.	(6) गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 23 मई 2013

क्र. 1198-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गुढ़वा	8.280	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र.-2, देवलौंद मुख्यालय गोविन्दगढ़.	गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण में आने वाली भूमि में तथा उन पर स्थिति परिसम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1200-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	रजरवार पैपखार	0.553	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कोटर माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	0.553		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1202-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि

की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	कोटर	अबेर	0.126	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की कोटर माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग. .	<u>0.126</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1204-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	कोटर	बिहरा कोठार	0.459	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की केमली माइनर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग. .	<u>0.459</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 15 मई 2013

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार को इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना की जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	रेवापुर	309.604 हे. एवं उस पर स्थित संपत्तियाँ एवं परिसंपत्तियाँ.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	रेवापुर थर्मल पावर परियोजना हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 2, खण्डवा में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 381-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	मोहडिया	2.897	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन।	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की जुनापानी वितरण शाखा की आफटेक आर.डी. 1250 मीटर की निमरानी माईनर पर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 382-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की खड़कवानी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
खरगोन	कसरावद	खड़केल	0.672	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन।	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 383-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	इंदिरा सागर परियोजना की खड़कवानी वितरण शाखा पर आफटेर आर. डी. 3988 मीटर पर प्रस्तावित बिलखेड़ माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
खरगोन	कसरावद	बिलखेड़	0.396	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन।	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 384-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खरगोन	कसरावद	कसरावद खुर्द	0.562	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 24 मई 2013

क्र. 423-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खरगोन	खरगोन	टेमला	11.429	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मैन-2, राईजिंग मैन-4 एवं पम्प हाउस-2 हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 422-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खरगोन	महेश्वर	धरगांव	0.051	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास खरगोन.	शासकीय कन्या हाईस्कूल धरगांव के भवन निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मण्डलेश्वर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 424-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
खरगोन	खरगोन	बोरगांवखुर्द	4.930	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग मेन-4 हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास नहर संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 20 मई 2013

क्र. 7301-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	डही	चाकल्या	0.400	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.	चाकल्या सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित।
		नरझली	3.565		
		काकरीया	2.655		
		मालपुरा	1.113		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 17 मई 2013

प्र. क्र. 2-12-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन					अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
शिवपुरी	पोहरी	कैमा	निजी भूमि	24	0.060	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	अपर ककेटो परियोजना	
म. प्र.			2.461 हे.	55	0.090	संभाग, श्योपुर.		की डूब क्षेत्र.
				64	0.180			
				65	0.210			
				66	0.190			
				68	0.200			
				71	0.730			
				77	0.090			
				85	0.163			
				90	0.261			
				111	0.067			
				155	0.040			
				262	0.180			
				योग . .	2.461			

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 3-12-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन					अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ ग्राम	संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
शिवपुरी	पोहरी	बूडदा	निजी भूमि	30	0.16	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन	अपर ककेटो परियोजना	
म.प्र.			2.80 हे.	31	0.18	संभाग, श्योपुर.		की डूब क्षेत्र.
				63	0.21			
				69	0.04			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				90	0.14		
				104	0.03		
				142	0.12		
				203	0.07		
				229	0.08		
				245	0.72		
				351	0.40		
				435/1	0.15		
				456	0.17		
				503	0.08		
				606	0.08		
				638	0.01		
				641	0.02		
				732	0.01		
				834	0.13		
				योग . .	<u>2.80</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 24 मई 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-14-722.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	लालपुर	131/6 131/1/16	0.47 0.33	कार्यपालन यंत्री सिंध परियोजना, दांयी तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट नहर (लालपुर पिकअप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु।
			कुल योग . .	<u>0.80</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

शिवपुरी, दिनांक 28 मई 2013

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-747.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	बडोरा	1684/2	0.21	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	महुआर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की टेल माइनर के निर्माण कार्य हेतु।
			1684/4	0.05		
			1684/7	0.03		
			1684/8	0.13		
			1684/10	0.09		
			1684/12	0.09		
			1685/4	0.07		
			1685/5	0.07		
			1688	0.20		
			1689	0.09		
			1690	0.07		
			1693	0.07		
			1694	0.04		
			1695	0.08		
			1696	0.12		
			1719/1	0.01		
			1721	0.07		
			1725	0.08		
			1726	0.02		
			1810	0.02		
			1811	0.20		
			1822/1	0.03		
			1822/2	0.01		
			1824	0.13		
			1828	0.10		
			1829	0.13		
			1830/1	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1830/2	0.13		
			1832/1	0.14		
			1832/2	0.01		
			1833	0.07		
			1880	0.03		
			1881	0.04		
			1888/2/1	0.11		
			1888/5	0.18		
			1888/6	0.02		
			1888/7	0.16		
			1892	0.08		
			1893	0.12		
			1895	0.01		
			1898	0.05		
			1899	0.10		
			1901	0.06		
			1902	0.14		
			1903	0.09		
			1904	0.16		
			2035	0.03		
			2046/1	0.02		
			2047/2	0.13		
			2055	0.03		
			2056	0.07		
			2058	0.20		
			2086/1	0.11		
			2086/2	0.01		
			2088	0.14		
			2089	0.18		
			2090	0.25		
			2229	0.05		
			2232	0.23		
			2233	0.13		
			2235	0.01		
			2236	0.01		
		योग.		5.67		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 29 मई 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
टीकमगढ़	निवाड़ी	वीरसागर		12.40	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मडवा घाट तालाब निर्माण हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मडवा घाट तालाब निर्माण हेतु ग्राम वीरसागर की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
टीकमगढ़	निवाड़ी	टैनीपुरा		42.45	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मडवा घाट तालाब निर्माण हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम टैनीपुरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	बनीयानीपूर्वी	41.60	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बनीयानीपूर्वी की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 4-अ-82-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	पपावनीपूर्वी	1.22	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मडवा घाट तालाब एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम पपावनीपूर्वी की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2013**

प्र.क्र. 01-अ-82-12-13-सा-1 सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन			अनुसूची		सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	का वर्णन
जिला भोपाल	तहसील/तालुका हुजूर	नगर/ग्राम मोमनपुर	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हैं। ख. न. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक-2, भोपाल। योग : 0.150	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	कनेरा	51/1/2	0.150	सम्प्राट अशोक सागर परियोजना जलाशय के जलस्तर पर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली अतिरिक्त निजी भूमि हेतु।
			योग :	0.150	
			कुल योग :	1.300	
				1.450	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 02-अ-82-12-13-सा-1 सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन			अनुसूची		सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	का वर्णन
जिला भोपाल	तहसील/तालुका हुजूर	नगर/ग्राम करोद खुर्द	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हैं। ख. न. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक-2, भोपाल। योग : 6.590	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			64	0.020	सम्प्राट अशोक सागर परियोजना जलाशय के जलस्तर पर 1504 से 1508 फीट के मध्य डूब में आने वाली अतिरिक्त निजी भूमि हेतु।
			94/1	0.110	
			63/1	0.200	
			61/1	0.050	
			61/2	0.300	
			62	0.100	
			68/1	0.020	
			75	0.150	
			94/4	0.200	
			96	1.790	
			98	2.050	
			99	1.500	
			योग :	6.590	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र.क्र. 03-अ-82-12-13-सा-1 सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
(1) भोपाल	(2) हुजूर	(3) कड़ैया	(4) ख. नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का वर्णन
			3	1.000	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक
			4	0.100	सागर संभाग क्रमांक-2, भोपाल.
			38/2	0.400	
			5	0.100	
			15/4	0.150	
			15/3	0.200	
			38/1	0.400	
			39/2/1	0.050	
			39/3	0.040	
			45/1	0.350	
			45/128/1	0.140	
			92/1	0.100	
			55/2	0.400	
			योग :	3.430	

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुञ्ज श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्र.-3848-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1) अनूपपुर	(2) पुष्पराजगढ़	(3) राखीताल	(4)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(6)
			4.864	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी,	चिल्हियामार जलाशय नहर कार्य हेतु।
			योग :	पुष्पराजगढ़।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 मई 2013

नस्ती क्र. 29-2013-एल.ए-भू-अर्जन प्र.क्र. 11-अ 82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	खुटलाकला	0.969	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा.	इंदिरा सागर नहर परियोजना की केलवा वितरण शाखा की आर. डी. 510 एम (आर) से अतिरिक्त सब-माईंनर के निर्माण कार्य हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र. 29-2013-एल.ए-भू-अर्जन प्र.क्र. 12-अ 82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	नवलगांव	0.43	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 28, पुनासा।	इंदिरा सागर नहर परियोजना की केलवा वितरण शाखा की माईंनर क्र. 03 की सब-माईंनर क्र. 02 को आगे निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 30 मई 2013

क्र. 7540-16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) धार	(2) मनावर	(3) टोंकी, प.ह.नं. 22	(4) 60.413	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र)	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।
(2)					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 7550-17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) धार	(2) मनावर	(3) टेमरनी प.ह.नं. 9	(4) 17.947	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र)	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 7555-18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
धार	मनावर	सोन्हूल प.ह.नं. 23	2.119	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 7536-19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
धार	मनावर	गोलपुरा प.ह.नं. 9	0.518	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु.	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 7560-20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
धार	मनावर	देवरा प.ह.नं. 12	2.987	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र)	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. -21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
धार	मनावर	मुहाली प.ह.नं. 11	4.588	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र)	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 7531-22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
धार	मनावर	मोराड प.ह.नं. 10	2.502	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र)	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 7525-23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम व.प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
धार	मनावर	सीतापुरी प.ह.नं. 5	0.362	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, विभाग प्रमुख (प्रशासन एवं भूमि मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड “ए” विंग, आहूरा सेन्टर, महाकाली केव रोड, अंधेरी (पू) मुंबई (महाराष्ट्र) के प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र एवं कन्वेयर बेल्ट हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 873-भू-अर्जन-प्र.क्र. 77-अ-82-2012-13-प्रकरण क्र. 77-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर भाग-3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.204 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रपल
(हेक्टर में)

(1)	(2)
449/4, 455/1	0.364
449/5, 455/2	0.360
454	0.186
456	0.890
457/2	0.197
512/3	0.045
458/2	0.117
512/4	0.045
योग . .	<u>2.204</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

बड़वानी, दिनांक 30 अप्रैल 2013

क्र. 942-भू-अर्जन-प्र.क्र. 76-अ-82-2012-13-प्रकरण क्र. 76-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—धमोड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.116 हेक्टर।

खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रपल
(हेक्टर में)

(1)	(2)
51/2	0.016
102/2	0.170
51/3	0.070
59	0.100
60	0.100
51/6	0.150
67	0.120
69	0.030
102/1	0.170
99	0.100
100/3	0.040
103/2	0.050
योग . .	<u>1.116</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 14 मई 2013

क्र. रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्रमांक 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे

दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—रानापुर

(ग) ग्राम—पाडलवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 (हेक्टेयर में)

खसरा	रकबा
------	------

नम्बर	(हेक्टेयर में)
-------	----------------

(1)	(2)
-----	-----

362/1	0.03
-------	------

362/2	0.02
-------	------

363	0.05
-----	------

365	0.01
-----	------

389	0.02
-----	------

390	0.03
-----	------

कुल योग . .	0.16
-------------	------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“ग्राम पाडलवा तहसील रानापुर अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड सुधार हेतु।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

क्र. रीडर-1-2013-राजस्व प्रकरण क्रमांक 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—झाबुआ

(ग) ग्राम—आमलीकलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.030 (हेक्टेयर में)

खसरा	रकबा
------	------

नम्बर	(हेक्टेयर में)
-------	----------------

(1)	(2)
-----	-----

214	0.030
-----	-------

कुल योग . .	0.030
-------------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“ग्राम आमलीफलिया अन्तर्गत झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी राजमार्ग मोड सुधार हेतु।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी झाबुआ एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 20 मई 2013

क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—इछावर

(ग) ग्राम—गाजीखेड़ी

(घ) क्षेत्रफल—0.162 हेक्टर।

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
92/1/1ख	0.162

योग . .	0.162
---------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कालापीपल जलाशय की गाजीखेड़ी नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 मई 2013

क्र. 385-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—सैलानी
- (घ) क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा—0.642 हे. (वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की)

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
217	0.602
217	0.040
योग. .	<u>0.642</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 386-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—जामला
- (घ) क्षेत्रफल—वनभूमि रकबा—0.642 हे. (वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र. 662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त हितग्राहियों की)

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
96	0.560
96	0.085
योग. .	<u>0.645</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—18 खरगोन, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 21 मई 2013

क्र. 391-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) (2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगांवा
- (ग) ग्राम—मोहम्मदपुर
- (घ) क्षेत्रफल—6.630 हे.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)	317/2 317/3/1 363/12 367 368 369 317/3/2 317/5 320/1 320/2 321 322 323 324 325 326 363/1/1 363/2 363/5 363/9 386/2 387 कुल योग. .	0.100 0.140 0.190 0.060 0.010 0.160 0.140 0.160 0.110 0.050 0.170 0.120 0.100 0.030 0.030 0.300 0.020 0.220 0.020 0.030 0.100 0.050 0.030 0.130
172/1/2	0.230	321	0.170
172/2	0.270	322	0.120
172/3/2	0.020	323	0.100
172/451/1	0.350	324	0.030
172/451/2	0.220	325	0.030
176/3/2	0.170	326	0.300
179	0.140	363/1/1	0.020
180	0.130	363/2	0.220
184/1	0.170	363/5	0.020
184/2	0.050	363/9	0.200
185/2	0.030	386/2	0.100
191/3/2	0.300	387	0.130
192/1/3	0.070		
192/2/2	0.090		
192/2/5	0.050		
192/1/9	0.100		
192/1/11	0.080		
192/1/14	0.070		
192/457/2/क	0.020		
192/457/3/क	0.110		
211/1	0.100		
211/2	0.120		
211/3	0.110		
211/4	0.100		
212/1	0.220		
217/1	0.200		
300/2	0.110		
309	0.020		
309/454	0.040		
315/1/1	0.010		
315/2	0.010		
316/2	0.170		
317/1/1	0.060		
317/1/2	0.130		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 392-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन

- (ग) ग्राम—बलवाड़ी
 (घ) क्षेत्रफल—1.620 हे.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
3/2	0.270
4/1	0.260
4/2/1	0.110
4/2/2	0.170
4/4	0.140
8/3	0.070
9	0.160
10	0.010
13/2	0.130
13/3	0.210
61/1	0.090
कुल योग.	1.620

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मैन-2 हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 393—भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—खरगोन
 (ग) ग्राम—बिजलगांव बुजुर्ग
 (घ) क्षेत्रफल—1.200 हे.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
49/6	0.040
49/7	0.010

(1)	(2)
49/8	0.040
64/1	0.080
64/2/1	0.010
64/2/2	0.080
64/2/3	0.030
67/1	0.500
67/2	0.410
कुल योग.	1.200

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मैन-2 हेतु.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 394—भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—खरगोन
 (ग) ग्राम—फाजिलपुरा
 (घ) क्षेत्रफल—0.640 हे.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
61/1/1	0.060
61/2	0.290
67	0.240
68/1/1	0.050
कुल योग.	0.640

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मैन-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 395-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—शाहपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—1.270 हे.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)	
10/2	0.620	59/1
10/3	0.010	59/2
11/2	0.150	59/3
12/1	0.150	73/1
12/2	0.340	73/2
कुल योग.		74
	1.270	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 396-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगांवा
- (ग) ग्राम—जामन्या
- (घ) क्षेत्रफल—5.370 हे.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)	
36		0.140
41		0.240
42/2/2		0.340
49/1		0.150
49/2		0.120
52/1		0.080
53/1		0.140
53/2		0.150
55		0.220
59/1		0.150
59/2		0.160
59/3		0.160
73/1		0.150
73/2		0.120
74		0.120
78		0.120
79		0.100
81/2		0.270
82/5		0.090
210		0.620
223/1		0.100
223/2		0.110
224/1		0.060
224/2		0.060
224/3		0.080
224/4		0.070
224/5		0.020
231/1		0.140
231/2		0.290

(1)	(2)	(1)	(2)
231/3	0.050	57/3	0.050
236/1	0.170	57/4	0.050
236/2	0.210	59/1	0.150
236/3	0.200	60/1	0.100
238/5	0.070	61/1	0.090
238/6	0.100	61/2	0.060
कुल योग.	5.370	कुल योग.	1.612

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 398-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—बरड़िया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.612 हे.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
34/1/1/3	0.100
34/1/1/4	0.100
34/1/2	0.202
34/2/1	0.020
36/2	0.450
37	0.060
57/1	0.120
57/2	0.060

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 398-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—तुकलाबाद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.230 हे.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
1/1	0.120
1/2/1	0.110
कुल योग.	0.230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 399-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—मांगरुल बुजुर्ग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.980 हेक्टर.

खसरा	रकबा
------	------

नंबर	(हे. में)
------	-----------

(1)	(2)
-----	-----

69/1/1	0.290
--------	-------

70/2	0.250
------	-------

73	0.190
----	-------

74/1	0.120
------	-------

81/3/3	0.290
--------	-------

82	0.220
----	-------

83	0.150
----	-------

84/1	0.170
------	-------

88/1	0.150
------	-------

88/2	0.210
------	-------

90/1	0.100
------	-------

90/3	0.060
------	-------

140/2	0.140
-------	-------

141/3	0.040
-------	-------

143	0.300
-----	-------

144/1	0.150
-------	-------

144/2/2	0.140
---------	-------

144/3	0.160
-------	-------

156/8	0.050
-------	-------

159/1	0.020
-------	-------

159/2	0.280
-------	-------

159/3	0.180
-------	-------

161/1/1	0.090
---------	-------

(1)	(2)
162	0.140
163/1	0.130
163/2	0.110
164/1	0.070
164/2	0.060

167	0.130
-----	-------

169	0.170
-----	-------

170/1	0.240
-------	-------

170/2	0.180
-------	-------

कुल योग.	4.980
-----------------	--------------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 400-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन

- (ख) तहसील—खरगोन

- (ग) ग्राम—दारापुर

- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.050 हेक्टर.

खसरा	रकबा
------	------

नंबर	(हे. में)
------	-----------

(1)	(2)
-----	-----

76/1	0.300
------	-------

78/1	0.120
------	-------

82/2/2	0.480
--------	-------

87/1/2	0.010
--------	-------

87/2	0.340
------	-------

(1)	(2)	(1)	(2)
89/1	0.150	11	0.030
89/2	0.110	12	0.520
146	0.090	19/5	0.250
147/1	0.250	20/4	0.350
147/2	0.140	20/5	0.065
148	0.310	20/6	0.005
149/3	0.250	27	0.020
149/4	0.060	42/2	0.340
150/1/1	0.080	46/2	0.090
150/1/2	0.080	46/3	0.120
150/3/1	0.100	46/5	0.080
150/4/3	0.100	46/6	0.160
150/5	0.080	46/9	0.120
कुल योग .		कुल योग .	
<u>3.050</u>		<u>2.180</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 401-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—नवाबपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.180 हेक्टर।

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
9	0.010
10	0.020

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—सोनीपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.400 हेक्टर।

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
2	0.020
5	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
8	0.130	180	0.060
9	0.130	187	0.010
10/1	0.040	199	0.040
149	0.010	200	0.100
150/1	0.190	201	0.070
151/2	0.030	202	0.230
152/1/1	0.080	203	0.090
155	0.470	204	0.090
184	0.125	205	0.080
185	0.005	207	0.100
188	0.150	208/1	0.080
204	0.490	208/2/1	0.020
205	0.220	208/2/2	0.070
206	0.060	208/3/1	0.050
कुल योग. .		2.400	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 403-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—खरगोन
- (ग) ग्राम—भाड़ली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.149 हेक्टर.

खसरा	रक्का
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
177	0.049
178	0.010

180	0.060
187	0.010
199	0.040
200	0.100
201	0.070
202	0.230
203	0.090
204	0.090
205	0.080
207	0.100
208/1	0.080
208/2/1	0.020
208/2/2	0.070
208/3/1	0.050
208/3/2	0.050
208/4	0.100
209	0.180
210	0.180
213	0.020
214	0.450
215	0.020
कुल योग. .	
	2.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 24 मई 2013

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13-पीपलखेडीकलौ-277.—चूंकि
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी

गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—कुंभराज
- (ग) नगर/ग्राम—पीपलखेडी कलाँ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.867 हेक्टर

सर्वे	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
2	0.857
परिसम्पत्ति कुआ 01	0.010
कुल योग .	<u>0.867</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भोजपुरा तालाब योजनान्तर्गत शेष छूटी भूमि एवं परिसम्पत्ति कुआ—1 का अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व चॉर्चौडा तथा कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग, राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 21 मई 2013

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-2012-2013-720.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर

- (ग) नगर/ग्राम—अन्दौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.01 हेक्टर।

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
118	0.02
119	0.06
120	0.06
580	0.18
584	0.08
590	0.01
591	0.03
592	0.02
593	0.44
597	0.03
598	0.07
599	0.01
योग .	<u>1.01</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत ढी-5 वितरिका की 6 एल-ए माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कैरैरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 14-भू-अर्जन-2012-2013-721.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर
- (ग) नगर/ग्राम—सुनारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.43 हेक्टर।

खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
857	0.15
858	0.16
859	0.05
860	0.03
862	0.02
863	0.01
864	0.01
867	0.13

(1)	(2)	(2)	(2)
900	0.13		सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत डी-5 वितरिका की 6 एल-ए माइनर के निर्माण हेतु.
903	0.20		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में किया जा सकता है.
904	0.07		
928	0.25		
929	0.07		
931	0.03		
943	0.16		
969	0.11		
972	0.07		
973	0.04		
974	0.12		
1174	0.05		
1175	0.08		
1176	0.01		
1183	0.08		
1184	0.03		
1185	0.14		
1186	0.01		
1194	0.11		
1195	0.17		
1197	0.05	सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
1198	0.11	(1)	(2)
1199	0.01		
1200	0.07	203	0.04
1335	0.09	207	0.27
1338	0.03	208	0.75
1339	0.01	209	1.22
1340	0.07	210	0.25
1341	0.03	211	0.22
2574	0.09	212	1.34
2626	0.07	213	0.55
2627	0.09	214/1	1.90
2628	0.05	214/2	0.95
2674	0.08	214/3	0.44
2675	0.01	225	0.82
2676	0.15	226	0.29
2691	0.17	250	0.06
2692	0.11	योग . .	<u>9.10</u>
2696	0.13		
2697	0.07		
2699	0.10		
2700	0.14		
2703	0.06		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—
2709	0.12		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2710	0.03		
कुल योग . .	<u>4.43</u>		

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-1211.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—शिवपुरी
- (ग) नगर/ग्राम—मेहदावली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.84 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.15
9	0.88
10	1.20
11/6	0.17
11/7	0.35
12	0.15
42/1	0.40
42/2	0.45
42/3	0.25
43	0.20
44	0.75
47	0.94
48	1.25
49/1	0.35
49/2	0.25
6	0.05
7/1	0.05
योग.	<u>7.84</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तालाब निर्माण हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 10 मई 2013

क्र. 1136-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) नगर/ग्राम—सोहास कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —7.360 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
204	0.004
1339	0.016
207	0.044
208	0.026
203	0.168
212	0.024
1242	0.032
246	0.132
245	0.254
243	0.050
242	0.088
241	0.076
240	0.064
226	0.012
239	0.002
228	0.088
238	0.044
229	0.032
237	0.158
236	0.068
399	0.012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	563	820
---	-----	-----

(1)	(2)	(1)	(2)
404	0.076	674	0.048
405	0.064	675	0.018
403	0.108	486	0.080
400	0.016	677	0.032
397	0.096	678	0.052
398	0.028	679	0.028
391	0.006	681	0.148
396	0.008	682	0.152
393	0.120	665	0.012
392	0.016	666	0.004
414	0.300	664	0.008
424	0.028	654	0.048
423	0.320	690	0.068
425	0.016	663	0.060
433	0.096	689	0.040
434	0.020	688	0.120
435	0.060	687	0.060
436	0.052	694	0.062
537	0.020	695	0.004
536	0.088	697	0.056
539	0.028	705	0.162
541	0.024	704	0.008
544	0.048	703	0.092
545	0.008	702	0.256
546	0.008	805	0.120
562	0.024	806	0.012
540	0.120	808	0.024
563	0.076	804	0.008
564	0.060	803	0.048
565	0.048	809	0.004
561	0.012	802	0.016
566	0.084	801	0.144
538	0.020	799	0.170
557	0.092	797	0.088
579	0.016	798	0.020
578	0.072	800	0.064
577	0.072	853	0.052
580	0.004	850	0.040
575	0.208	01	0.042
574	0.096	02	0.012
573	0.048	03	0.004
572	0.024	04	0.024
673	0.080	849	0.060

(1)	(2)
848	0.008
847	0.096
846	0.004
842	0.052
841	0.012
06	0.064
726	0.060
711	0.004
713	0.052
714	0.056
709	0.012
708	0.032
685	0.020
686	0.024
707	0.128
712	0.012
योग . .	<u>7.360</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 1206-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—लोलाछ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.025 हेक्टेयर।

खसरा	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि
नम्बर	(हे. में)	(हे. में)
(1)	(2)	(3)
926	0.025	—
कुल . .	<u>0.025</u>	—

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरावा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1208-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराजनगर
- (ग) नगर/ग्राम—इटवाँ कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.926 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
77	0.036
76	0.150
78	0.060
79	0.064
80	0.244
81	0.048
94	0.048
93	0.004
89	0.024
80	0.012
87	0.136
88	0.008
86	0.092
योग . .	<u>0.926</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की अकौना माइनर की सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पटेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

धार, दिनांक 6 मई 2013

क्र. 6632-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—डही
- (ग) ग्राम—पन्हाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.908 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
44	0.971
46	0.324
58	0.352
45/2	2.023
47/2	3.238
योग . .	<u>6.908</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये की आवश्यकता है—नलवान्या सिंचाई तालाब के निर्माण में प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पटेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं
पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

नीमच, दिनांक 8 मई 2013

क्र. 1684-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
- (ख) तहसील—जावद
- (ग) ग्राम/ग्राम का नाम—हनुमंतिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.34 हेक्टर

सर्वे नम्बर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
529	0.08
604	0.16
673	0.03
674	0.07
योग . .	<u>0.34</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम हनुमंतिया के पास हनुमंतिया नाले पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग हेतु।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पटेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पटेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बड़वानी, दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1034-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 46-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—कुआं

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.989 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1)	(2)	(1)	(2)
2/1	0.103	96, 97	0.086
3	0.145	98/1	0.344
9	0.086	98/2	0.120
10	0.026	98/3	0.030
11/1, 11/2	0.226	98/4	0.160
15/1	0.120	102	0.030
15/2	0.320	103/2	0.060
16	0.170	231/3/2	0.400
17/1	0.350	241/1/2 क, 244/1	0.125
18	0.260	241/2, 245/1	0.210
19/1	0.410	241/3	0.025
19/2	0.040	242/1, 242/2	0.250
22/1	0.380	243/1/3, 243/2	0.240
23	0.270	245/2	0.110
25/1/1, 25/2/1	0.010	249/1	0.250
26/1, 27/1	0.350	249/2	0.575
26/2, 27/2/1/1	0.170	254/1/2, 254/2/2	0.043
26/3, 27/2/1/2	0.150	255/1	0.062
26/4, 27/2/2	0.125	255/2	0.028
26/5, 27/3	0.030	257/1	0.025
28/1	0.100	257/2	0.010
30/2	0.005	258/1	0.105
33/1	0.440	260	0.060
33/2	0.300	262	0.562
34/1	0.435	263	0.479
34/2	0.275	267/1	0.550
36/2	0.015	267/2	1.125
36/3	0.050	268	0.040
58	0.850	269	0.125
72/1	0.027	272/2	0.202
72/2	0.004	274	0.134
72/3, 74	0.015	277/2	0.075
73/4	0.080	291/1	0.442
75/1	0.047	291/2	0.142
76	0.058	302/1/1/2, 302/1/1/1/2	0.310
78/1, 78/2	0.460	योग . .	16.989
79/1	0.093		
90/1	1.100		
90/2/3, 91	0.200		
92/1	0.210		
92/2	0.040		
92/5	0.470		
94/1	0.010		
94/2	0.430		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1036-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 48-अ-82-2012-

13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे

दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—केरवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—16.830 हेक्टर.

खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1)	(2)
9/1/4 ग	0.010
9/1/6	0.220
9/3/1	0.200
9/3/2	0.540
18/2, 21/1	0.040
22/3	0.340
23/2	0.140
56/11	1.030
58, 59/1	0.180
72/6	0.430
85, 86	0.590
87/2	0.006
87/4	0.108
87/5	0.112
92/1/1	0.240
92/1/2	0.280
92/2	0.340
93/3	0.010
96/1	0.510
96/2	0.320
97/1	0.310
97/2	0.370
97/3	0.140
101/1	0.058
101/2	1.130
101/3	0.058
101/4	0.124
103/2	0.070
103/3	0.770
105	0.010
107	0.250
110	0.080
111/1	1.119
111/2/1	0.230

(1)	(2)
111/2/2/1	0.010
111/3	0.050
112	0.190
115/1	0.530
115/2	0.182
116, 117/2	0.860
117/1	1.070
120/8	0.170
142/1, 143/1	0.700
167/1, 167/2	0.250
167/3	0.970
169/2	0.210
169/3	1.120
206/5	0.120
206/6	0.017
206/7	0.016
योग . .	16.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1035—भू-अर्जन—नहर—प्र. क्र. 56-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—ब्राह्मणांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—13.799 हेक्टर।

खसरा नंबर अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल
(हेक्टर में)

(1)	(2)
222/1, 223/3	0.216
222/4, 223/5	0.076

(1)	(2)
231/1	0.431
231/2	0.171
232, 233	0.354
234/2	0.378
235/1	0.303
235/2	0.305
236/1	0.290
236/2	0.160
238/1	0.120
238/2	0.640
239/1	0.090
240/1, 240/2	0.551
141/1/1	
241/2/ख	0.091
242/1/1ख	
241/1/2	
241/3	0.435
242/1/2ख	
242/2/1	0.285
242/2/2	0.030
242/2/4	0.337
243/4	0.061
244/4	0.020
244/5	0.206
250/1	0.570
259	1.300
262	0.370
264/327/2	0.035
266/1	0.260
266/4	0.040
267/10	0.865
267/11	0.650
274	0.645
301/1	0.060
301/2	0.380
302	0.121
305	0.235
307/9	0.660
312	0.235
313/2, 323/1/2	0.235
314/2	0.250
316/4	0.210
316/8	0.198
319/2	0.095
319/3	0.300
320/1/2, 321/1	0.525
321/2/2	0.010
योग . .	13.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 ठीकरी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1033-भू-अर्जन-नहर-20-13-प्र. क्र. 78-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—दमदमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टर।

खसरा अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल	नंबर (हेक्टर में)
---	-------------------

(1)	(2)
112/1	0.250
119/2	
112/2	0.026
112/3	0.140
112/4	0.094
योग . .	0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की सनगांव माईनर की वितरण शाखा एवं उपशाखा नहरों के निर्माण हेतु।

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

बड़वानी, दिनांक 16 मई 2013

क्र. 1079-भू-अर्जन-नहर-प्र. क्र. 51-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—ठीकरी
- (ग) ग्राम—कपाल्याखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.882 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) 1/8, 106/1, 106/2, 106/3, 107	0.830
56	0.070
108/1, 109/1	1.172
108/2	0.324
121/1/3, 121/7, 121/11	0.728
122/1, 123/1	
121/8	0.048
121/1/2, 121/10	
122/2	0.425
124	0.100
125	0.099
126	0.090
127	0.689
128/1	0.040
129/1/1, 129/2/1	0.190
130/2, 131, 132/1/2, 132/2, 132/3, 133	0.291
134	0.171
135/1	0.097
135/2	0.006
136/4, 148/1	0.200
136/5, 148/4	0.210
136/6, 148/5	0.057
138	0.340
140	0.121
141/2	0.020
144/1	0.138
144/4, 147	0.219
164/1	0.195
164/2	0.195
165/1	0.121
165/2	0.133
165/3	0.101
166	0.068
166/168	0.021
167/1, 167/2, 167/3	0.373
योग . .	7.882

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना कुआं शाखा नहर के निर्माण हेतु।

नोट।—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन चंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 17 मई 2013

प्र. क्र. 42-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—भितरवार
- (ग) ग्राम—खोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.302 हेक्टेयर।

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अवाप्त किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
34	1.055	0.065
35	0.209	0.005
36	3.407	0.146
48	1.536	0.086
		योग : 0.302

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा एवं उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर
परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 मई 2013

क्र. 1183-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिस्मृतियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—अमिरती
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.289 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(3)		
597	0.190	0.034	375	388	0.029	0.166	0.008
598	0.271	0.014	374	384	0.124	0.227	0.009
599	0.320	0.027	336	385	0.084	0.287	0.005
613	0.146	0.029	269	270	0.016	0.267	0.057
612	0.065	0.007	271	272/1/1	0.020	0.202	0.024
614	0.093	0.040	272/1/2	272/2/1	0.016	0.008	0.036
615	0.259	0.010	272/2/2	272/3	0.008	0.029	
629	0.036	0.005	272/4	273	0.016	0.190	0.014
631	0.170	0.025	272/1/1	275	0.077	0.231	0.016
712/1	0.032		272/1/2	276	0.194	0.314	0.012
712/2	0.032		272/2/1	277	0.314	—	0.064
712/3	0.097	0.007	272/2/2	299	—	0.032	
712/4	0.097		272/3	300	0.077	0.038	
711/1	0.073	0.003	272/4	301	0.097	0.012	
711/2	0.077		299	305	0.393	0.012	
709/1	0.102	0.008	300	306	0.158	0.012	
709/2	0.152		301	308	0.097	0.012	
708	0.068	0.002	305	308	0.101	0.020	
707	0.942	0.044	306	296	0.144	0.008	
704	0.121	0.016	308	295	0.016	0.008	
641	1.536	0.070	309	293	0.372	0.008	
634	0.092	0.014	318	295	0.113	0.010	
633	0.125	0.028	309	293	0.176	0.060	
701	0.287	0.020					
703	0.121	0.003					

कुल योग : 1.289

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊंगंज उद्वहन सिंचाई योजना की अमिरती शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.	(1)	(2)	(3)
	2471	0.117	0.020
	2465	0.109	0.026
	2464	0.032	0.004
	2463	0.482	0.055
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षक प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	2460	0.166	0.005
	2459	1.011	0.076
	2513	0.69	0.005

क्र. 1185-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—बड़ागांव
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.136 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकमा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
2381	0.344	0.040
2380	0.312	0.032
2585	0.445	0.070
2379	1.346	0.055
2389	1.076	0.055
2378	0.061	0.004
2425	0.271	0.040
2422	0.214	0.040
2426	0.317	0.004
2421	0.175	0.016
2420	0.089	0.020
2419	0.276	0.009
2469	0.077	0.015
2467	0.197	0.028
2470	0.076	0.012
2466	0.154	0.030

कुल योग : 1.136

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊंगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 मई 2013

क्र. 432-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—मुकुन्दपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.035 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
2	0.035
कुल योग.	0.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 434-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र.-28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद

- (ग) ग्राम—बिजगुन
- (घ) क्षेत्रफल—0.445 हेक्टेयर

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
10	0.080
25/2	0.015
28/2	0.040
57/3	0.310
कुल योग.	0.445

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 433-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र.29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—नगांवा
- (घ) क्षेत्रफल—4.780 हेक्टेयर

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
67/1	0.395
109	0.680
91/1	0.230
91/2	0.040
67/2	0.455
55/2	0.475

(1)	(2)	(ग) ग्राम—भोईन्दा (घ) क्षेत्रफल—2.757 हेक्टेयर
		खसरा नंबर (हे. में) (1) (2)
105/2	0.405	
103/1	0.020	खसरा
106/2	0.260	नंबर
92/3	0.065	(1) (2)
91/3	0.075	250/2/7 0.010
103/2/2	0.325	253/1/2/2/1 0.130
103/2/1	0.300	253/1/2/2/2 0.150
55/1	0.150	253/2/2 0.190
105/4	0.170	253/2/4/1 0.070
91/4	0.015	253/2/4/2 0.085
120/2	0.090	253/2/5 0.045
105/3	0.245	253/2/1/2/2 0.110
118	0.170	253/2/1/2/1 0.320
120/1	0.115	260/2 0.125
92/4	0.100	260/3 0.145
कुल योग.	<u>4.780</u>	389/3 0.355
		390/1 0.015
		414/2 0.260
		392 0.465
		413 0.152
		415/1 0.130
		कुल योग. <u>2.757</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 431-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र.-30-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 मई 2013

क्र. एस.डी.ओ.-126-पोहरी-प्र. क्र.-01-12-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त शासकीय भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—पोहरी
- (ग) नगर/ग्राम—बूडदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल जिस पर सम्पत्ति निर्मित है—0.472 हेक्टेयर.

शासकीय भूमि का खसरा नं. जिस पर सम्पत्ति निर्मित है एवं मद	सम्पत्ति का रकबा (हे.)	भवन क्र. (2)	परिवार के मुखिया का नाम/पिता का नाम (3)	सम्पत्ति का विवरण (मकान) पक्का/कच्चा (5)
464 का. का.	0.040	63	प्रभुलाल सुरेश कुमार मुना लाल केदारी मनोज पुत्रगण चिरौजी.	हनुमान शंकर मन्दिर कमरा छत्री चबूतरे.
466 मंदिर	0.01			
467 आबादी (गांवठान)	0.01			
468 मंदिर	0.01			
516 पठार	0.005	20	गोपीलाला धाकड़ पुत्र अर्जुन लाल	पाटोर (मवेशीघर)
525 छत्री	0.009	65	शासकीय	छत्री
550 आबादी (गांवठान)	0.007	48	चन्द्रपाल पुत्र सवाई लाल	पाटोर
550 आबादी (गांवठान)	0.004	49	जगदीश पुत्र दुर्जन	पाटोर
550 आबादी (गांवठान)	0.006	50	नरेश पुत्र ताराचन्द्र	कमरा टीनसेड
550 आबादी (गांवठान)	0.007	51	अरविन्द पुत्र ताराचन्द्र	कमरा
550 आबादी (गांवठान)	0.006	52	मलखान पुत्र भंवरलाल	कमरा टीनसेड
550 आबादी (गांवठान)	0.005	53	छोटलाल पुत्र फाशू	कमरा टीनसेड
550 आबादी (गांवठान)	0.008	54	पूरन पुत्र जगनाथ	कमरा पाटोर
550 आबादी (गांवठान)	0.003	64	शा. सामुदाय भवन धाकड़ो का	कमरा
550 आबादी (गांवठान)	0.004	66	श्रीराममजीलाल पुत्र केशोराम	पाटोर
561 का. का.	0.004	46	हजारी, लच्छी, अतरसिंह धाकड़	पाटोर
588 खाद के गढ़े	0.007	21	ग्यारसीराम कुशवाह पुत्र हीरालाल	कमरा टीनसेड
588 खाद के गढ़े	0.003	22	संतोष कुशवाह पुत्र ग्यासीराम	कमरा
588 खाद के गढ़े	0.004	23	सत्यमान सिंह कुशवाह पुत्र भूरा	पाटोर
593 पठार	0.009	16	कैलाश कुशवाह पुत्र हीरा सिंह	पाटोर
593 पठार	0.002	26	मथुरा धाकड़ बेवा स्व. रामू	कमरा टीनसेड
593 पठार	0.012	27	प्रभु लाल धाकड़ पुत्र भान सिंह	कमरा
593 पठार	0.002	42	बुदधाराराम पुत्र धनपाल	पाटोर
593 पठार	0.003	43	माता दीन पुत्र बुद्ध	कमरा टीनसेड
593 पठार	0.002	44	कुंवर राज पुत्र बुद्ध	कमरा
594 आबादी (गांवठान)	0.005	15	गुलाब सिंह कुशवाह पुत्र हीरा सिंह	कमरा टीनसेड
594 आबादी (गांवठान)	0.005	17	राकेश कुशवाह पुत्र हीरा सिंह	टीनसेड
595 का. का.	0.006	24	कमल सिंह पुत्र विद्याधर	पाटोर, मवेशीघर
605 आबादी (गांवठान)	0.004	25	मोतीलाल धाकड़ पुत्र श्यामलाल धाकड़	पाटोर
605 आबादी (गांवठान)	0.004	28	दामोदर सिंह धाकड़ पुत्र राजाराम	पाटोर, मवेशीघर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
605 आबादी (गांवठान)	0.011	29	जगदीशसिंह धाकड़ पुत्र सरवनसिंह	कमरा पाटोर
605 आबादी (गांवठान)	0.004	18	वन विभाग के कमरे	कमरा
605 आबादी (गांवठान)	0.005	19	वन विभाग के कमरे	कमरा
610 का. का.	0.005	12	शा. अस्पताल पशु	कमरा
612 आबादी (गांवठान)	0.010	11	श्यामवीर पुत्र गुलाबसिंह	कमरा टीनसेड
613 का. का.	0.002	13	प्रतिक्षालय शा.	कमरा
613 का. का.	0.008	14	शैलेन्द्र सिंह तोमर पुत्र भगवानसिंह	कमरा टीनसेड
614 आबादी (गांवठान)	0.015	10	शा. मा. विद्यालय	कमरा
615 पठार	0.006	2	महेश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा	सिद्ध बाबा का चबूतरा
615 पठार	0.016	3	महेश शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा	कमरा
615 पठार	0.01	4	प्रतिपाल सिंह पुत्र विशन सिंह	कमरा
615 पठार	0.01	5	नीलेश सिंह पुत्र प्रतिपाल सिंह	कमरा
615 पठार	0.003	6	शासकीय उचित मूल्य की दुकान	दुकान
615 पठार	0.013	7	शा. प्रा. बूढ़दा	कमरा
615 पठार	0.005	8	आंगनबाड़ी शासकीय	कमरा
615 पठार	0.004	9	शा. स्कूल	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.005	30	रघुवर कुशवाह पुत्र बुद्धराम	कमरा, पाटोर
757 आबादी (गांवठान)	0.004	31	अशोक कुशवाह पुत्र बुद्धराम	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.006	32	मुरारी कुशवाह पुत्र ल्योरे	पाटोर
757 आबादी (गांवठान)	0.003	33	संत चरण पुत्र रामजीलाल	कमरा टीनसेड
757 आबादी (गांवठान)	0.004	34	शिवराज सिंह पुत्र रामजीलाल	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.011	35	गजेन्द्र सिंह पुत्र गोपीलाल	कमरा टीनसेड
757 आबादी (गांवठान)	0.007	36	गनेश पुत्र रामजी लाल	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.004	37	विश्वम्भर धाकड़ पुत्र रामप्रकाश	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.005	38	कल्ला पुत्र रामप्रकाश	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.004	39	मुकेश पुत्र रामप्रकाश	कमरा टीनसेड
757 आबादी (गांवठान)	0.01	40	प्रीतम धाकड़ पुत्र बाबू धाकड़	कमरा टीनसेड
757 आबादी (गांवठान)	0.002	41	प्रमोद पुत्र प्रीतम	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.015	41 ए	सन्तूराम (संतचरण) पुत्र सवाई धाकड़	कमरा पाटोर
757 आबादी (गांवठान)	0.012	47	शिवदयाल पुत्र मनू	कमरा पाटोर
757 आबादी (गांवठान)	0.006	47/1	वनवारी पुत्र मनू	पाटोर
757 आबादी (गांवठान)	0.009	55	ताराचन्द्र पुत्र रामचरन	कमरा टीनसेड
757 आबादी (गांवठान)	0.004	56	सीताराम पुत्र छीतू	पाटोर
757 आबादी (गांवठान)	0.009	57	रघुवीर पुत्र सीताराम	कमरा पाटोर टीनसेड
757 आबादी (गांवठान)	0.005	58	मुरारीलाल पुत्र सीताराम	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.005	59	गिरराज पुत्र लहोरे	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.005	60	हरगोविन्द पुत्र लहोरे	कमरा
757 आबादी (गांवठान)	0.004	61	केदारी पुत्र दोजा	पाटोर
योग . .	0.472	65		
		संपत्ति		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर केटो बांध परियोजना के ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

	(1)	(2)
19/1	0.110	
19/2 क	0.060	
19/2 ख	0.050	

सिंगरौली, दिनांक 4 जून 2013

क्र. 1820-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली		24/2 क	0.970
(ख) तहसील—सरई		24/2 ख	0.460
(ग) पटवारी हल्का नं.—डोंगरी 61		24/2 ग 1	0.080
(घ) ग्राम का नाम—डोंगरी		24/2 ग 2	0.090
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—177.540 हेक्टर.		24/2 घ	0.200
		24/2 ड	0.100
		24/2 च	0.100

खसरा रकमा

नंबर (हे. में)

(1) (2)

31/1	0.120
31/2	0.120
31/3	0.100
32/1 क 1	0.090
32/1 क 2	0.090
32/1 ख	0.180
32/2 क	0.230
32/2 ख	0.120
32/3	0.350
33/1 क 1	0.180
33/1 क 2	0.190
33/1 ख	0.370
33/2 क	0.360
33/2 ख	0.120
33/2 ग	0.240
33/3	0.720
34/1 क 1	0.100
34/1 ख	0.110
34/2	0.210
36	0.260
41/2 क	1.100
41/2 ख	0.060
41/2 ग	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
43/2 क 1	0.190	55/2 घ	0.060
43/2 क 2	0.400	55/3 क	0.260
43/2 क 3	0.200	55/3 ख	0.400
43/2 क 4	0.210	56/1 क 1	0.170
43/2 ख 1	0.110	56/1 ख	0.170
43/2 ख 2	0.020	56/1 ग	0.180
43/2 ख 3	0.050	56/2 क	0.360
43/2 ख 4	0.020	56/2 ख	0.150
43/2 ग	0.400	56/3 क	0.310
43/2 घ	0.400	56/3 ख	0.200
51/1	0.080	57/1 क	0.160
51/2	0.080	57/1 ख	0.160
51/3	0.080	57/2	0.310
51/4	0.080	57/3	0.310
51/5	0.040	58/1 क	0.070
51/6	0.060	58/1 ख	0.070
51/7	0.080	58/1 ग	0.070
51/8	0.080	58/2	0.130
51/9	0.080	58/3	0.130
51/10	0.080	59	0.120
51/11	0.190	61/1	0.040
51/12	0.180	61/2	0.040
51/13	0.180	61/3	0.040
51/14	0.180	61/4	0.040
52/1	0.220	61/5	0.150
52/2	0.070	63/1 ख	0.060
52/3	0.020	63/2	0.070
52/4	0.020	63/3	0.130
52/5	0.020	65	1.220
52/6	0.020	66	0.130
52/7	0.020	68/1	0.060
52/8	0.020	68/2	0.060
52/9	0.060	68/3	0.050
54	0.560	68/4	0.050
55/1 क 1	0.110	68/5	0.050
55/1 क 2	0.110	68/6	0.050
55/1 ख	0.220	68/7	0.320
55/1 ग	0.220	69/1 क	0.010
55/2 क	0.460	69/1 ख 1	0.320
55/2 ख	0.060	69/1 ख 2	0.320
55/2 ग	0.080	69/1 ग	0.640

(1)	(2)	(1)	(2)
69/2 क	0.250	94/1 क	0.050
69/2 ख	0.650	94/1 ख	0.050
69/2 ग	0.400	94/2	0.090
69/3	1.300	96/1	0.110
70	0.290	96/2	0.060
71/1	0.040	96/3	0.120
71/2	0.050	96/4	0.020
72/1 क	0.130	96/5	0.020
72/1 ख 1	0.070	96/6	0.020
72/1 ख 2	0.060	96/7	0.020
72/1 ग	0.120	96/8	0.020
72/2	0.380	96/9	0.020
72/3	0.380	96/10	0.020
74	0.360	96/11 क	0.020
81/1	0.330	96/11 ख	0.020
81/2	0.080	96/12	0.040
81/3	0.020	96/13	0.040
81/4	0.060	96/14	0.020
81/5	0.030	96/15	0.020
83/2	0.180	96/16	0.020
87/2	0.710	96/17	0.020
90/1	0.380	96/18	0.020
90/2 क	0.210	96/19	0.020
90/2 ख	0.040	96/20	0.080
90/2 ग	0.030	96/21	0.020
90/2 घ	0.030	98/1	0.010
90/2 ङ	0.030	98/2	0.010
90/2 च	0.030	98/3	0.020
92/2 क	0.030	99	0.570
92/2 ख	0.030	100/1	0.010
92/2 ग	0.030	100/2	0.010
92/2 घ	0.030	104/1	0.140
92/2 ङ	0.030	104/2	0.140
92/3	0.400	104/3	0.100
93/2 क	0.080	106/1	0.400
92/2 ख 1	0.050	106/2	0.050
92/2 ख 2	0.040	106/3	0.050
93/2 ग	0.090	106/4	0.070
93/2 घ	0.090	112/1	0.500
93/2 ङ	0.090	112/2	0.500
93/3	0.460	112/3	0.480

(1)	(2)	(1)	(2)
113/1	0.240	149/1 ग 4	0.130
113/2	0.190	149/1 ग 5	0.020
114/1 क	0.070	149/1 ग 6	0.020
114/1 ख	0.070	149/1 ग 7	0.020
114/1 ग	0.070	149/2 क	0.100
114/2	0.210	149/2 क 1	0.010
114/3	0.210	149/2 क 2	0.080
117	0.310	149/2 क 3	0.020
120/1	0.750	149/2 क 4	0.050
120/2	1.010	149/2 क 5	0.040
120/3	0.590	149/2 क 6	0.020
120/4	0.020	149/2 क 7	0.020
121	0.170	149/2 क 8	0.010
122	0.400	149/2 क 9	0.020
124	2.380	149/2 क 10	0.040
125/1	0.360	149/2 क 11	0.020
125/2	0.360	149/2 ख	0.090
125/3	0.370	149/2 ख 2	0.080
125/4	0.380	149/2 ख 3	0.050
125/5	0.350	149/3 ग 3	0.020
125/6	0.350	150/2	0.400
125/7	0.970	166	0.010
126	2.040	187/2 ख	0.200
128/2	0.150	187/2 ग	0.200
129/2	0.450	187/2 घ	0.200
139	1.100	187/2 ड	0.200
149/1 ख 1	0.020	187/2 च	0.400
149/1 ख 2	0.080	187/2 छ	0.200
149/1 ख 3	0.080	187/2 ज	0.210
149/1 ख 4	0.010	187/2 झ	0.220
149/1 ख 5	0.010	187/2 झ	0.150
149/1 ख 6	0.060	214/2 क 1	0.020
149/1 ख 7	0.010	214/2 क 2	0.200
149/1 ख 8	0.020	214/2 क 3	0.200
149/1 ख 9	0.020	214/2 क 4	0.020
149/1 ख 10	0.020	214/2 क 5	0.020
149/1 ख 11	0.020	214/2 क 6	0.060
149/1 ख 12	0.020	214/2 क 7	0.020
149/1 ख 13	0.020	214/2 क 8	0.020
149/1 ख 14	0.060	214/2 क 9	0.020
149/1 ख 15	0.020	214/2 क 10	0.020
149/1 ख 16	0.020	214/2 क 11	0.240
149/1 ख 17	0.030	214/2 क 12	0.020
149/1 ख 18	0.010	214/2 क 13	0.020
149/1 ग 19	0.010	214/2 क 14	0.020
149/1 ग 1	0.250	214/2 क 15	0.060
149/1 ग 2	0.140	214/2 क 16	0.020
149/1 ग 3	0.020		

(1)	(2)	(1)	(2)
214/2 क 17	0.020	609	0.460
214/2 क 18	0.020	617/1	0.240
214/2 क 19	0.020	617/2	0.120
214/2 क 20	0.050	617/3	0.120
214/2 क 21	0.020	617/4	0.240
214/2 क 22	0.020	623	0.600
214/2 क 23	0.020	630	0.360
214/2 क 24	0.020	633	0.130
214/2 ख	0.100	634	0.370
214/2 ग	0.060	635	0.040
214/2 घ	0.060	636/1	0.060
226	0.020	636/2	0.010
258/2	2.000	636/3	0.010
263/1 क	0.100	636/4	0.010
263/1 ख	0.100	636/5	0.010
263/1 ग	0.100	636/6	0.010
263/1 घ	0.100	636/7	0.010
263/1 ड	0.100	639/1	0.100
263/2	2.000	639/2	0.050
263/ 3 क 1	0.160	639/3	0.100
263/ 3 क 2	0.400	639/4	0.100
263/ 3 क 3	0.400	639/5	0.030
263/ 3 क 4	0.060	639/6	0.070
263/ 3 ख	0.400	639/7 क	0.020
263/ 3 ग	0.400	639/7 ख	0.020
263/ 3 घ	0.100	639/7 ग	0.010
263/ 3 ड	0.100	639/8	0.050
290/1 क	0.420	639/9	0.050
290/1 ख	0.240	639/10	0.050
290/1 ग	0.420	640	0.030
290/2	1.080	641	0.360
290/3	1.080	642	0.220
300	0.020	643/1	0.180
313	0.020	643/2	0.030
328/1	0.100	643/3 क	0.010
497	0.050	643/3 ख	0.020
601/1	0.070	643/4	0.030
602/1	0.020	643/5	0.030
602/2	0.010	643/6	0.030
602/3	0.020	643/7	0.030
602/4	0.020	644	0.540
603/1	0.070		
605	0.030		
607	0.220		

(1)	(2)	(1)	(2)
647/1	0.220	655/10	0.010
647/2क	0.070	655/11	0.010
647/2ख	0.070	655/12	0.020
647/2ग	0.080	655/13	0.210
647/3	0.210	655/14	0.210
648	0.860	655/15	0.210
650/1	0.040	655/16	0.230
650/2	0.070	658/1	0.460
650/3	0.010	658/2	0.450
650/4	0.020	658/3	0.110
650/5	0.020	658/4	0.120
650/6	0.020	658/5	0.110
650/7	0.020	658/6	0.110
650/8	0.020	658/7	0.150
651/1	0.100	658/8	0.150
651/2	0.060	658/9	0.150
651/3	0.060	658/10	0.140
651/4	0.040	659/1	0.070
651/5	0.040	659/2	0.070
651/6	0.040	660/1	0.090
651/7	0.040	660/2	0.050
651/8	0.040	660/3	0.040
651/9	0.030	660/4	0.080
652/1	0.280	661	0.750
652/2क	0.100	662/1	0.180
652/2ख	0.090	662/2	0.180
652/2ग	0.090	662/3	0.190
652/3	0.300	663	0.530
654	1.000	665/1क	0.090
655/1	0.020	665/1ख	0.400
655/2	0.020	665/1ग	0.400
655/3	0.010	665/1घ	0.400
655/4	0.010	665/1ड	0.400
655/5	0.010	665/2क	0.050
655/6	0.020	665/2ख	0.820
655/7	0.010	665/2ग	0.820
655/8	0.010	665/3क	0.050
655/9	0.010	665/3ख	0.820

(1)	(2)	(1)	(2)
665/3ग	0.820	674/2ख	0.100
666/1	0.010	674/2ग	0.100
666/2	0.010	674/2घ	0.100
666/3	0.010	674/3क	0.190
667/1	0.030	674/3ख	0.210
667/2	0.040	675/1	0.180
667/3	0.030	675/2	0.180
668/1क	0.030	675/3	0.180
668/1ख	0.030	676/1	0.050
668/1ग	0.030	676/2	0.050
668/1घ	0.050	676/3	0.060
668/1ड़	0.040	676/4	0.080
668/1च	0.030	676/5	0.080
668/1छ	0.030	676/6	0.040
668/1ज	0.030	676/7	0.040
668/1झ	0.040	676/8	0.040
668/1ञ	0.040	676/9	0.080
668/2क	0.020	676/10	0.110
668/2ख	0.020	677/1	0.030
668/2ग	0.020	677/2	0.010
668/2घ	0.020	677/3	0.010
668/2ड़	0.010	677/4	0.010
668/3	0.090	678	0.090
668/4	0.090	680/1	0.090
668/5	0.080	680/2	0.030
669	0.170	680/3	0.040
670/1	0.030	680/4	0.070
670/2	0.030	681/1	0.040
670/3	0.030	681/2	0.020
672/1	0.050	681/3	0.020
672/2	0.040	681/4	0.010
672/3	0.040	681/5	0.010
673/1क	0.190	681/6	0.010
673/1ख	0.200	681/7	0.010
673/2	0.390	681/8	0.010
673/3	0.38	681/9	0.020
674/1	0.400	682	0.050
674/2क	0.100	683/1क	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
683/1ख	0.020	695/8	0.010
683/2	0.060	695/9	0.010
683/3	0.020	695/10	0.010
684/1	0.050	695/11	0.020
684/2	0.030	695/12	0.020
684/3	0.040	695/13	0.050
684/4	0.050	695/14	0.040
685/1	0.220	695/15	0.040
685/2	0.230	695/16	0.020
685/3	0.060	696/1	0.040
685/4	0.050	696/3	0.020
685/5	0.060	696/4	0.020
685/6	0.060	696/7	0.020
686/1	0.160	696/8	0.020
686/2	0.080	696/9	0.010
686/3	0.080	696/10	0.020
686/4	0.050	696/11	0.060
686/5	0.050	696/12	0.050
686/6	0.050	697/1	0.150
686/7	0.060	697/2क	0.050
686/8	0.060	697/2ख	0.050
686/9	0.050	697/2ग	0.050
687/1	0.030	697/3	0.140
687/2	0.030	699/1	0.100
689/1	0.020	699/2	0.030
690/1	0.010	699/4	0.020
693/1	0.040	699/5	0.030
694/2	0.020	700/1	0.100
694/3	0.020	700/2	0.090
694/4	0.020	700/3क	0.030
694/5	0.020	700/3ख	0.060
694/6	0.030	701/1क	0.030
694/7	0.020	701/3	0.040
695/1	0.020	702/1	0.010
695/3	0.010	702/2	0.010
695/4	0.010	702/3	0.010
695/5	0.010	702/4	0.010
695/6	0.010	702/5	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
702/6	0.010	722/2घ	0.010
702/7	0.010	722/3	0.020
702/8	0.030	722/4	0.030
702/9	0.010	722/5	0.010
702/10	0.010	722/6	0.010
702/11	0.020	722/7	0.010
702/12	0.010	722/8	0.010
703/1	0.060	723/1	0.680
703/2	0.070	723/2	0.690
703/3	0.020	723/3	0.340
703/4	0.030	723/4	0.340
703/5	0.020	724/1क	0.060
704/1	0.010	724/1ख	0.060
704/2	0.010	724/1ग	0.060
704/3	0.070	724/1घ	0.050
704/4	0.070	724/2क	0.010
704/5	0.040	724/2ख	0.010
704/6	0.020	724/2ग	0.010
705	0.550	724/2घ	0.010
706	0.050	724/2ड	0.010
707	0.070	724/2च	0.050
708/1क	0.020	724/3	0.060
708/3	0.080	724/4	0.060
709	1.020	724/5	0.020
710/1	0.130	724/6	0.020
710/2क	0.050	724/7	0.020
710/2ख	0.040	724/8	0.010
710/2ग	0.050	726/1	0.510
710/3	0.140	726/2	0.500
713	0.070	726/3	0.260
714/5	0.170	726/4	0.250
714/6ख	0.050	727/1	0.020
714/7	0.080	727/2	0.020
721	0.430	727/3	0.010
722/1	0.100	727/4	0.010
722/2क	0.010	729	0.150
722/2ख	0.010	731/2	0.210
722/2ग	0.010	733	1.440

(1)	(2)	(1)	(2)
736/1	0.020	742/2 ग	0.400
736/2	0.400	742/2 घ	0.080
736/3	0.020	758/1 क	0.080
736/4	0.010	758/1 ख	0.070
736/5	0.010	758/1 ग	0.080
737/1	0.220	758/1 घ	0.070
737/2क	0.200	759/1	0.090
737/2ख	0.020	759/2	0.080
737/3	0.220	759/3	0.020
737/4	0.220	759/4	0.020
738/1	0.010	759/5	0.020
738/2	0.260	759/6	0.020
738/3	0.270	759/7	0.090
738/4	0.130	759/8	0.090
738/5	0.140	759/9	0.070
739/1	0.050	759/10	0.060
739/2	0.020	759/11	0.060
739/3	0.030	759/12	0.060
742/2क 1	0.490	759/13	0.040
742/2क 2	0.010	760/1	0.020
742/2क 3	0.010	760/2	0.030
742/2क 4	0.020	760/3	0.010
742/2क 5	0.020	760/4	0.010
742/2क 6	0.020	760/5	0.020
742/2क 7	0.040	760/6	0.040
742/2क 8	0.020	760/7	0.020
742/2क 9	0.020	760/8	0.010
742/2क 10	0.020	760/9	0.020
742/2क 11	0.020	760/10	0.020
742/2क 12	0.020	761	0.270
742/2क 13	0.020	763/1	0.120
742/2क 14	0.050	765/1	0.020
742/2क 15	0.050	765/2	0.500
742/2क 16	0.010	765/3	0.340
742/2क 17	0.010	765/4क	0.060
742/2क 18	0.010	765/4ख	0.040
742/2क 19	0.010	765/5	0.100
742/2 ख	0.400	765/6	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
765/7	0.100	784/1क	0.060
765/8	0.420	784/1ख	0.060
765/9	0.160	784/1ग	0.060
765/10	0.160	784/1घ	0.070
772/1क	0.720	784/1ङ	0.110
772/1ख	0.100	784/1च	0.060
772/2	0.400	784/1छ	0.060
772/3	0.400	784/1ज	0.060
772/4	0.400	784/1झ	0.080
777/1	0.390	784/1ञ	0.080
777/2	0.040	784/2क	0.050
777/3	0.210	784/2ख	0.040
778/1	0.190	784/2ग	0.040
778/2	0.400	784/2घ	0.040
779/1	0.020	784/2ङ	0.060
779/2क	0.060	784/2च	0.060
779/2ख	0.080	784/2छ	0.050
779/2ग	0.060	784/3	0.180
779/2घ	0.060	784/4	0.180
779/2ङ	0.040	784/5	0.050
779/2च	0.040	784/6	0.040
779/2छ	0.060	784/7	0.040
779/2ज	0.060	784/8	0.050
779/3क	0.010	785/1	0.810
779/3ख	0.020	785/2	0.810
779/3ग	0.060	785/3	0.410
779/3घ	0.060	785/4	0.400
779/3ङ	0.060	786/1	0.050
779/3च	0.020	786/2	0.020
779/3छ	0.020	786/3	0.030
779/3ज	0.020	786/4	0.050
779/3झ	0.020	786/5	0.050
779/3ञ	0.020	786/6	0.050
779/3ट	0.020	786/7	0.050
779/3ठ	0.040	786/8	0.010
779/3ड	0.020	786/9	0.010
779/3ट	0.020	786/10	0.010
779/3ठ	0.020	786/11	0.020
779/3ड	0.020	786/12	0.010
779/3ट	0.020	786/13	0.010
779/4	0.460	786/14	0.010
		786/15	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
786/16	0.010	806	1.650
786/17	0.010	807/1क	0.100
786/18	0.020	807/1ख	0.150
786/19	0.010	807/2	0.250
786/20	0.010	807/3	0.250
786/21	0.040	808	0.300
786/22	0.030	811/1	0.390
786/23	0.030	811/2क	0.120
786/24	0.040	811/2ख	0.140
789/2क	0.120	811/2ग	0.120
789/2ख	0.100	811/3	0.380
789/2ग	0.100	812	0.370
789/2घ	0.100	814/1	0.090
792/1क	0.070	814/2	0.050
792/1ख	0.070	814/3	0.050
792/1ग	0.070	814/4	0.020
792/2क	0.010	814/5	0.030
792/2ख	0.010	814/6	0.030
792/2ग	0.010	814/7	0.040
792/2घ	0.010	814/8	0.030
792/2ड	0.010	814/9	0.040
792/2च	0.050	815/1क	0.060
792/3	0.060	815/1ख	0.050
792/4	0.050	815/1ग	0.050
792/5	0.050	815/1घ	0.060
792/6	0.050	815/1ड	0.060
792/7	0.050	815/2क	0.020
792/8	0.060	815/2ख	0.020
799/1	0.100	815/2ग	0.020
799/2	0.110	815/2घ	0.020
801	0.310	815/2ड	0.030
802	0.120	815/2च	0.020
803	0.310	815/3	0.070
804	2.050	815/4	0.070
804/1080	0.070	815/5	0.030
805/1	0.040	815/6	0.020
805/2	0.020	815/7	0.020
805/3	0.020	815/8	0.030
805/4	0.010	817/1	0.400
805/5	0.010	817/2	0.410
805/6	0.020	817/3	0.200
805/7	0.010	817/4	0.200
805/8	0.010	818/1	0.530
805/9	0.010	818/2	0.270

(1)	(2)	(1)	(2)
818/3	0.260	858/1क	0.250
818/4	0.540	858/1ख	0.250
818/5	0.010	858/2	0.500
818/6	0.020	858/3	0.500
818/7	0.020	859	1.890
818/8	0.020	865/1	0.100
820/1	0.200	865/2	0.100
820/2	0.200	868/2क 1	0.470
820/3	0.200	868/2क 2	0.080
820/4	0.200	868/2क 3	0.020
823	0.340	868/2क 4	0.020
825/1ख 1	0.010	868/2ख 1	0.400
825/1ख 2	0.120	868/2ख 2	0.200
825/1ख 3	0.120	868/2ग 1	0.140
825/1ख 4	0.020	868/2ग 2	0.060
825/1ख 5	0.010	868/2ग 3	0.020
825/1ख 6	0.010	868/2घ	0.200
825/1ग	0.300	883/1क 1	0.280
825/2	0.390	883/1क 2	0.020
832	0.070	883/1क 3	0.020
834/1	0.130	883/1क 4	0.020
834/2	0.200	883/1क 5	0.020
834/3	0.200	883/1क 6	0.040
834/4	0.200	883/1ख	0.100
834/5	0.200	883/1×1	0.300
834/6	0.210	883/1×2	0.060
847/2क	0.440	883/1×3	0.040
847/2ख	0.070	883/1घ 1	0.180
847/2ग	0.070	883/1घ 2	0.060
847/2घ	0.460	883/1घ 3	0.040
847/2ड	0.480	883/1घ 4	0.020
847/2च	0.480	883/1ड	0.300
851/1क	0.110	883/1च 1	0.200
851/1ख	0.110	883/1च 2	0.100
851/1ग	0.110	883/2	0.300
851/2	0.330	887/2क	0.050
851/3	0.330	887/2ख	0.600
852	1.480	888/2	2.000
855/1	0.070	889/2क 1	0.430
855/2	0.070	889/2क 2	0.020
855/3	0.070	889/2ख 1	0.400
857/1	0.260	889/2ख 2	0.040
857/2	0.260	889/2ख 3	0.010
857/3	0.260	889/2ग	0.450

(1)	(2)	(1)	(2)
889/2घ1	0.390	912/1ख	0.160
889/2घ2	0.010	912/2क	0.22
889/2घ3	0.010	912/2ख	0.12
889/2घ4	0.010	912/3क	0.16
889/2घ5	0.030	912/3ख	0.12
902/1	0.400	912/3ग	0.06
902/2	0.400	912/4क	0.21
902/3	0.400	912/4ख	0.08
902/4	0.400	912/4ग	0.02
905/1क	0.150	912/4घ	0.02
905/1ख	0.020	912/4ड	0.01
905/1ग	0.010	913/1	0.050
905/1घ	0.020	913/2	0.100
905/1ड	0.010	914/1क	0.070
905/1च	0.010	914/1ख	0.400
905/1छ	0.020	914/1ग	0.200
905/1ज	0.100	914/1ग1	0.400
905/1झ	0.020	914/1घ	0.180
905/1ञ	0.020	914/1ड	0.220
905/2क	0.020	914/2	0.400
905/2ख	0.020	915/1	0.820
905/2ग	0.020	915/1/2	0.400
905/3	0.320	915/2	0.600
905/4	0.320	915/3क	0.770
905/5	0.320	915/3ख	0.060
905/6	0.320	915/4क	0.400
910/2क	1.450	915/4ख	0.050
910/2ख	0.060	915/4ग	0.050
910/2ग	0.020	915/4घ	0.050
910/2घ	0.060	915/4ड	0.050
910/2ड	0.020	915/5	0.400
910/2च	0.020	915/6	0.400
910/2छ	0.010	917/2क1	0.160
910/2ज	0.010	917/2क2	0.080
910/2झ	0.010	917/2क3	0.040
910/2ञ	0.010	917/2क4	0.040
910/2ट	0.010	917/2ख	0.460
910/2ठ	0.010	917/2ग	0.460
910/2ड	0.010	917/2घ	0.060
912/1क1	0.030	918/2क1	0.010
912/1क2	0.020	918/2क2	0.030
912/1क3	0.020	918/2क3	0.020
912/1क4	0.060	918/2ख1	0.100
912/1क5	0.060	918/2ख2	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
918/2ख3	0.030	929/1क2	0.020
918/2ख4	0.020	929/1क3	0.020
918/2ख5	0.020	929/1ख	0.300
918/2ख6	0.020	929/1ख2	0.020
918/2ख7	0.020	929/1ग	0.120
918/2ख8	0.020	योग :	<u>177.540</u>
918/2ग1	0.230		
918/2ग2	0.050	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए—एम.पी.जे.पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल-2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र, माइन्स, वर्कशाप, टाउनशिप एवं रोड हेतु निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.	
918/2ग3	0.200		
918/2ग4	0.050	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	
918/2ग5	0.050		
918/2ग6	0.050		
918/2घ	0.630	क्र. 1822-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
918/3क1	0.010		
918/3क2	0.010		
918/3क3	0.020		
918/3क4	0.010		
918/3ख1	0.040		
918/3ख2	0.450		
918/3ख3	0.400		
918/3ख4	0.010		
918/3ख5	0.010		
918/3ख6	0.040		
918/3ग1	0.530		
918/3ग2	0.400		
918/3ग3	0.020		
921/1क	0.290	(1) भूमि का वर्णन—	
921/1ख	0.020	(क) जिला—सिंगरौली	
921/3क	0.280	(ख) तहसील—सरई	
921/3ख	0.020	(ग) पटवारी हल्का नं.-भैसाबूड़ा 59	
921/2	0.300	(घ) ग्राम का नाम—डिगवाह	
921/4	0.310	(ङ) लगभग क्षेत्रफल—93.480 हेक्टर।	
922/1	0.250	खसरा क्रमांक	रकबा
922/2	0.200		(हेक्टर में)
922/3	0.200	(1)	(2)
922/4	0.200	385	0.170
922/5	0.060	389/1	0.480
922/6	0.110	389/2	0.240
922/7	0.110	389/3	0.380
923/1	0.050	389/4	0.280
923/2	0.050	389/5	0.330
923/3	0.050	389/6	0.360
923/4	0.160	393	0.350
929/1क	0.070	394/1	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
394/2	0.220	462/3	0.350
394/3	0.220	462/4	0.560
395	0.920	463/1	0.610
397	0.230	463/2	0.610
398/1	0.220	479	0.790
398/2	0.070	480/1	0.290
398/3	0.310	480/2	0.290
400	0.410	480/3	0.290
401/1	0.300	480/4	0.290
401/2	0.150	481/1	0.110
401/3	0.500	481/2	0.110
401/4	0.450	481/3	0.110
401/5	0.430	481/4	0.110
402	0.340	482/1	0.400
403	0.130	482/2	0.200
404/1	0.090	482/3	0.270
404/2	0.090	482/4	0.160
404/3	0.080	482/5	0.270
405	0.850	483	0.060
406/1	1.020	484	0.420
406/2	2.000	485	0.240
407	0.550	486/1	0.090
408/1	0.290	486/2	0.040
408/2	0.090	487	0.180
408/3	0.190	488	0.050
411	0.060	506	0.070
412	0.170	507	2.090
416	2.000	508	0.880
421/1	0.300	510	0.980
421/2	0.290	512	0.580
425	0.240	515	0.610
426/1	0.890	516	0.360
426/2	0.610	518	0.540
438/1	0.230	519	0.690
438/2	0.300	520	1.840
443/1	0.100	524/1	0.090
443/2	0.100	524/2	0.090
443/3	0.110	524/3	0.090
443/4	0.150	524/4	0.090
443/5	0.160	596	0.070
460	0.640	597	0.010
461	0.970	611	1.480
462/1	0.520	612/1	0.290
462/2	0.540	612/2	0.290

(1)	(2)	(1)	(2)
612/3	0.280	715	3.440
613	0.170	716	0.560
614	0.240	718/1	0.120
615	0.070	718/2	0.240
616	0.050	718/3	0.680
617	0.110	718/4	0.110
619	0.200	718/5	0.110
620	1.250	718/6	0.110
621/1	0.410	718/7	0.400
621/2	0.810	718/8	0.400
621/3	0.400	721	0.400
624	1.610	722/1	0.310
625/1	0.530	722/2	0.100
625/2	0.530	722/3	0.090
626	0.760	724/1	0.280
627/1	0.300	724/2	0.320
627/2	0.350	725	0.610
627/3	0.300	766	2.330
627/4क	0.550	770/1	0.600
627/4ख	0.400	770/2	0.590
689/1	0.320	781/1	0.120
689/2	0.350	781/2	0.100
689/3	1.060	782/1	0.580
689/4	0.670	782/2	0.580
689/5	0.200	785/1	0.080
689/6	0.200	785/2	0.080
689/7	0.200	785/3	0.070
691	0.690	786	0.580
692	0.180	790/1	0.030
693/1	0.470	790/2	0.030
693/2	0.210	790/3	0.030
698	1.180	791/1	0.160
700/1	0.190	791/2	0.800
700/2	0.180	791/3	0.120
700/3	0.180	791/4	0.120
700/4	0.260	791/5	0.120
700/5	0.260	791/6	0.120
701	1.210	791/7	0.120
702	1.000	791/8	0.120
703	0.100	791/9	0.120
704/1	0.750	791/10	0.200
704/2	0.860	794	0.400
712/1	2.000	796	0.270
712/2	2.000	800	0.700

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—एम. पी. जे. पी. कोल लिमिटेड डोंगरीताल-2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र, माइन्स, वर्कशाप, टाउनशिप एवं रोड हेतु निर्माण के लिये भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन।
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।
802/1	0.190	क्र. 1824-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
802/2	0.210	
802/3	0.220	
802/4	0.400	
803/1	0.040	
803/2	0.040	
804	0.150	
828/1	0.400	
828/2	0.400	
828/3	0.410	
828/4	0.400	
829	0.200	
830/1	0.340	
830/2	0.260	
831	0.170	
833	0.160	
838/877/1	0.090	
838/877/2	0.090	
838/877/3	0.090	
838/877/4	0.100	
839/1	0.160	
839/2	0.230	
839/3	0.160	
840	1.060	
841/1	1.150	
841/2	0.900	खसरा रकबा
847	0.420	नंबर (हे. में)
849	0.800	(1) (2)
852	0.770	286/1 0.030
854	0.290	286/2 0.100
855/896	0.340	286/3 0.200
855	0.180	286/4 0.200
858/1	0.130	286/5 0.040
858/2	0.130	286/6 0.150
858/3	0.130	286/7 0.150
858/4	0.130	286/8 0.080
858/5	0.100	286/9 0.100
858/6	0.120	286/10 0.060
858/7	0.120	286/11 0.080
858/8	0.120	286/12 0.060
858/9	0.120	286/13 0.080
858/10	0.170	286/14 0.060
858/11	0.180	288 0.380
858/12	0.180	289/1 0.060
858/13	0.170	289/2 0.080
कुल योग . .	93.480	289/3 0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
293	0.120	362/6	0.420
299/1	0.040	362/7	0.370
300	0.310	362/8	0.400
301	0.350	362/9	0.050
302/1	0.150	362/10	0.400
302/2	0.060	362/11	0.400
302/3	0.020	362/12	0.400
303	3.640	363	1.220
304	1.060	364	3.240
306/1	0.400	366	4.550
306/2	0.550	368/1क	0.390
307	1.130	368/1ख	0.140
308	0.030	368/2क	0.200
313	0.480	368/2ख/1	0.050
314	0.120	368/2ख/2	0.150
315	1.010	368/2ग	0.200
326	0.020	368/2घ	0.200
347	1.400	368/3क/1	0.120
349	2.020	368/3क/2	0.200
350	2.020	368/3ख	0.310
352	1.620	368/3ग	0.170
353	4.340	368/4	0.790
354	1.820	368/5	0.200
355/1	0.330	368/6क	0.300
355/2	0.330	368/6ख	0.400
357	0.220	368/7ख	0.240
360	4.680	368/7क	0.040
361	9.780	368/8	0.400
362/1/क	0.100	368/9	0.400
362/1ख/1	0.050	369	1.720
362/1ख/2	0.250	370/1	0.330
362/1ग/1	0.100	370/2	0.300
362/1ग/2	0.200	370/3	0.150
362/1घ/1	0.140	370/4	0.150
362/1घ/2	0.260	370/5	0.100
362/2/क/1	0.280	370/6	0.100
362/2/क/2	0.200	370/7	0.100
362/2ख/1	0.400	370/8	0.090
362/2ख/2	0.090	370/9	0.150
362/3/1	0.210	370/10	0.150
362/3/2	0.400	371	1.620
362/4क	0.230	372	3.240
362/4ख	0.400	373	2.430
362/5	0.320	374	6.070

(1)	(2)	(1)	(2)
380	4.860	396/19	0.020
382	1.620	396/20	0.010
385	2.020	396/21	0.020
390/1	0.780	396/22	0.020
390/2	0.500	396/23	0.020
390/3	0.300	396/24	0.020
390/4	0.020	396/25	0.020
390/5	0.200	396/26	0.020
390/6	0.200	396/27	0.020
391	2.000	396/28	0.020
392	2.020	396/29	0.020
393	8.500	396/30	0.020
395/2क	1.000	396/31	0.020
395/2ख	0.080	396/32	0.020
395/2ग	0.410	396/33	0.020
395/2घ	0.100	398	0.350
395/2ङ	0.410	401/1	0.240
395/3क	0.410	401/2	0.400
395/3ख	0.370	401/3	0.240
395/3ग	0.370	401/4	0.200
395/3घ	0.370	401/5	0.200
395/3ङ/1	0.370	401/1/1	0.100
395/3ङ/2	0.050	401/1/2	0.400
395/3च	0.020	401/1/3	0.500
395/3छ	0.040	403/2क	0.520
396/1	0.540	403/2ख	0.500
396/2क	0.120	406/1	0.040
396/2ख	0.020	406/2	0.020
396/3	0.060	406/3	0.020
396/4	0.060	406/4	0.020
396/5	0.020	406/5	0.020
396/6	0.020	406/6	0.020
396/7	0.020	406/7	0.020
396/8	0.020	406/8	0.020
396/9	0.020	406/9	0.020
396/10	0.020	406/10	0.020
396/11	0.060	406/11	0.020
396/12	0.060	406/12	0.020
396/13	0.010	406/13	0.020
396/14	0.020	406/14	0.020
396/15	0.020	406/15	0.020
396/16	0.180	406/16	0.020
396/17	0.400	406/17	0.200
396/18	0.020	406/18	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
406/19	0.020	410	1.210
406/20	0.020	413/2	0.350
406/21	0.060	413/3	0.030
406/22	0.020	413/4	0.030
406/23	0.030	413/5	0.020
406/24क	0.020	413/6	0.020
406/24ख	0.020	413/7	0.020
406/24ग	0.020	413/8	0.010
406/25	0.020	413/9	0.020
406/26	0.020	413/10	0.020
406/27	0.030	413/11	0.020
406/28	0.060	413/12	0.020
406/29	0.020	413/13	0.010
406/30	0.020	413/14	0.020
406/31	0.020	413/15	0.020
406/32	0.480	413/16	0.020
406/33	0.060	413/17	0.020
406/34	0.020	413/18	0.020
406/35	0.020	413/19	0.020
406/36	0.020	413/20	0.060
406/37	0.020	413/21	0.050
406/38	0.020	413/22	0.060
406/39	0.020	413/23	0.060
406/40	0.020	413/24	0.050
406/41	0.020	413/25	0.050
406/42	0.020	413/26	0.060
406/43	0.020	413/27	0.060
406/44	0.020	413/28क	0.200
406/45	0.020	413/28ख	0.040
406/46	0.020	413/28ग	0.040
406/47	0.020	413/28घ	0.040
406/48	0.050	413/28ड	0.040
407/1	0.200	413/28च	0.040
407/2	0.060	413/29	0.060
407/3	0.400	415/1	0.420
407/4	0.060	415/2क	0.120
407/5	0.060	415/2ख	0.020
407/6	0.200	415/2ग	0.020
407/7	0.060	415/2घ	0.020
407/8	0.320	415/2ड	0.020
407/9	0.400	415/3	0.060
407/10	0.060	415/4	0.070
407/11	0.200	415/5	0.070
408	0.400	415/6	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
415/7	0.120	416/1/2ग	0.020
415/8क	0.030	416/1/2घ	0.020
415/8ख	0.010	416/1/2ड	0.040
415/8ग	0.010	416/1/2च	0.020
415/8घ	0.010	416/2/2	0.060
415/9	0.060	416/2/3	0.200
415/10	0.060	416/2/4	0.020
415/11	0.020	416/2/5	0.060
415/12	0.020	416/2/6	0.020
415/13	0.020	416/2/7	0.020
415/14	0.020	416/2/8	0.020
415/15	0.060	416/2/9	0.020
415/16	0.020	416/2/10	0.020
415/17	0.020	416/2/11	0.070
415/18	0.020	416/2/12	0.070
415/19	0.020	416/2/13	0.020
415/20	0.020	416/3/1	0.040
415/21	0.020	416/3/2	0.020
415/22	0.100	416/3/3	0.010
415/23	0.040	416/3/4	0.020
415/24	0.020	416/3/5	0.020
415/25	0.020	416/3/6	0.020
415/26	0.020	416/4क	0.220
415/27	0.020	416/4ख	0.200
415/28	0.020	416/5/1	0.050
415/29	0.060	416/5/2	0.020
415/30	0.020	416/5/3	0.010
415/31	0.020	416/5/4	0.020
415/32	0.020	416/5/5	0.020
415/33	0.020	416/5/6	0.020
415/34	0.020	416/6/1	0.080
415/35	0.020	416/6/2	0.010
415/36	0.020	416/6/3	0.020
415/37	0.020	416/6/4	0.010
415/38	0.060	416/6/5	0.010
415/39	0.060	416/7/1	0.100
416/1/1क	0.120	416/7/2	0.010
416/1/1ख	0.060	416/7/3	0.020
416/1/1ग	0.040	418/2क1	0.380
416/1/1घ	0.050	418/2क2	0.310
416/1/2क	0.040	418/2क3	0.010
416/1/2ख	0.060	418/2क4	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
418/2क5	0.020	427	1.340
418/2क6	0.020	428/1	0.130
418/2क7	0.020	428/2	0.420
418/2क8	0.020	428/3	0.060
418/2क9	0.020	428/4	0.070
418/2क10	0.010	428/5	0.070
418/2क11	0.020	428/6	0.070
418/2क12	0.010	428/7	0.140
418/2क13	0.020	428/8	0.130
418/2क14	0.040	428/9	0.130
418/2क15	0.020	428/10	0.130
418/2क16	0.010	429/1/1	0.020
418/2क17	0.020	429/1/2	0.060
418/2क18	0.020	429/2	0.190
418/2क19	0.050	429/3	0.130
418/2क20	0.020	429/4	0.300
418/2क21	0.060	429/5	0.140
418/2क22	0.010	429/6	0.200
418/2क23	0.020	432/1	0.170
418/2क24	0.010	432/2	0.260
418/2क25	0.010	436	2.830
418/2क26	0.010	436/624	1.030
418/2क27	0.020	438/1	0.450
418/2ख1	0.100	438/2	0.300
418/2ख2	0.020	438/3	0.300
418/2ख3	0.020	443/625	0.720
418/2ख4	0.010	444	1.110
418/2ख5	0.010	444/626	0.370
418/2ख6	0.010	447/1	0.210
418/2ख7	0.040	447/2	0.210
418/2ख8	0.010	447/3	0.210
418/2ख9	0.020	447/4	0.210
418/2ख10	0.020	448	0.050
418/2ख11	0.020	453	1.620
418/2ख12	0.020	455/2	1.260
418/2ख13	0.020	467/1	0.180
418/2ख14	0.020	467/2	0.180
418/2ख15	0.020	467/3क	0.090
418/2ख16	0.010	467/3ख	0.090
418/2ख17	0.010	467/4क	0.090
418/2ख18	0.020	467/4ख	0.080
418/2ग	0.400	467/5	0.170

(1)	(2)	(1)	(2)
513/1क	0.020	532/1ख	0.800
513/1ख	0.020	532/2	0.400
513/2	0.050	538/1	0.040
513/3	0.050	538/2/1	0.200
513/4	0.050	538/2/2	0.020
513/5	0.050	538/2/3	0.020
517/1	0.400	538/2/4	0.060
417/2	0.400	538/3/1	0.160
517/3	0.400	538/3/2	0.100
517/4	0.400	538/3/3	0.040
517/5	0.340	539/2क	0.110
517/6	0.400	539/2ख	0.200
517/7	0.200	540/2क	0.540
517/8	0.200	540/2ख	0.530
517/627	0.100	540/2ग	0.530
518	3.840	540/2घ	0.400
523/1	0.010	540/3क	0.020
523/628/1	0.080	540/3ख	0.060
523/628/2	0.070	540/3ग	0.060
528/1	0.050	540/3घ	0.060
528/2	0.090	540/3/5	0.140
528/3क	0.040	540/3/6च/1	0.100
528/3ख	0.050	540/3/6/2	0.040
528/4क	0.040	540/3/6/3	0.060
528/4ख	0.050	540/3/7	0.060
528/5	0.090	558	0.470
529/1क	0.020		
529/1ख	0.020	योग . .	153.210
529/1ग	0.020		
529/1घ	0.020		
529/2	0.080		
529/3	0.080		
529/4	0.080		
529/5	0.080		
532/1क1	0.140		
532/1क2	0.400		
532/1क3	0.100		
532/1क4	0.400		
532/1क5	0.200		
432/1क6	0.200		
532/1क7	0.100		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— एम.पी.जे.पी.कोल लिमिटेड डोंगरीताल-2 के लिये कोयला खनन, कोल हैन्डलिंग संयंत्र, माइन्स, वर्कशाप, टाउनशिप एवं रोड हेतु निर्माण के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देवसर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्ड्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 20 मई 2013

क्र. A-2733-दो-2-26-2011.—श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 13 जून 2013 तक, ग्यारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगरीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 मई 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
क्ष्मी. बी. सिंह, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2013

क्र. 643-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 590-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी), दिनांक 6 मई 2013 के अन्तर्गत स्थानांतरित, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री हरीश कुमार कौशिक को उनकी नवीन पदस्थापना ग्वालियर में “नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश” के स्थान पर, “तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश” के रिक्त पद पर पदस्थ करता है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्र. ए-2190-तीन-10-42-75 (रीवा-मऊगंज).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई-3269-तीन-10-42-75 (रीवा-मऊगंज), दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा की श्रृंखला न्यायालय, मऊगंज से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. A-2190-III-10-42-75 (Rewa-Mauganj).—High Court Notification No. E-3269-III-10-42-75 (Rewa-

Mauganj), dated 2nd August 2011, so far as it relates to holding of Link Court of Shri Dhirendra Kumar Shrivastav, VIIth Additional District & Sessions Judge, Rewa to Mauganj is hereby stands Cancelled.

क्र. ए-2192-तीन-10-42-75 (होशंगाबाद-इटारसी).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी-3511-तीन-10-42-75 (होशंगाबाद-इटारसी), दिनांक 12 जुलाई 2012 जहां तक कि उसका संबंध श्री डॉ. ओमप्रकाश तिवारी, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश होशंगाबाद की श्रृंखला न्यायालय, इटारसी से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. A-2192-III-10-42-75 (Hoshangabad-Itarsi).—High Court Notification No. D-3511-III-10-42-75-(Hoshangabad-Itarsi), dated 12th July 2012, so far as it relates to holding of Link Court of Shri Dr. Omprakash Tiwari, Additional Judge to Ist Additional District & Sessions Judge, Hoshangabad to Itarsi is hereby stands Cancelled.

जबलपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्र. ए-2283-तीन-10-42-75 (उज्जैन-महिदपुर).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-4847-तीन-10-42-75 (उज्जैन-महिदपुर), दिनांक 15 नवम्बर 2006 जहां तक कि उसका संबंध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन की श्रृंखला न्यायालय, महिदपुर से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. A-2283-III-10-42-75 (Ujjain-Mahidpur).—High Court Notification No. C-4847-III-10-42-75(Ujjain-Mahidpur), dated 15th November 2006, so far as it relates to holding of Link Court of III Additional District & Sessions Judge, Ujjain to Mahidpur is hereby stands Cancelled.

क्र. ए-2285-तीन-10-42-75 (शाजापुर-सुसनेर).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ई-3267-तीन-10-42-75 (शाजापुर-सुसनेर), दिनांक 2 अगस्त 2011 जहां तक कि उसका संबंध श्री सुरेश कुमार आरसे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर की श्रृंखला न्यायालय, सुसनेर से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. A-2285-III-10-42-75 (Shajapur-Susner).—High Court Notification No. E-3267-III-10-42-75 (Shajapur-Susner), dated 2nd August 2011, so far as it relates to holding of Link Court of Shri Suresh Kumar Aarse Additional District & Sessions Judge, Agar to Susner is hereby stands Cancelled.

Jabalpur, the 10th May 2013

No. A-2464-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanat Kumar Kashyap, Presiding Officer of the court of AJ to ASJ Anuppur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2465-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Mahendra Singh Tomar, Presiding Officer of the court of IV-ASJ, Bhind for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2466-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Kumari Neena Ashapure, Presiding Officer of the court of II-ASJ, Dhar for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2467-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Sangeeta Madan, Presiding Officer of the court of VIII-ASJ, Gwalior for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2468-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Shamroj Khan, Presiding Officer of the court of AJ to ASJ, Rajgarh for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2469-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri K.C. Bangar, Presiding Officer of the court of I-ASJ, Ratlam for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2470-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Hridesh, Presiding Officer of the court of I-ASJ, Sagar for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2471-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prayag Lal Dinkar, Presiding Officer of the court of I-ASJ, Sidhi for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2472-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Dr. Vijay Kumar Agrawal, Presiding Officer of the court of AJ to ASJ, Singrauli, Waidhan for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2473-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Laxmi Sharma, Presiding Officer of the court of IX-ASJ, Ujjain for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2474-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Umesh Pandav, Presiding Officer of the court of II-ASJ, Vidisha for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. A-2475-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Atul Khandelwal, Presiding Officer of the court of I-ASJ, Chhindwara for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई.)

जबलपुर, दिनांक 15 मई 1013

क्र. 610-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती दीपिका मालवीय, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	रीवा	रीवा	रीवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, रीवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, रीवा की हैसियत से.

क्र. 612-गोपनीय-2013-II-2-88-2006.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती किरण बाला पाठक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी.	सीधी	रीवा	रीवा	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रीवा की हैसियत से श्रीमती दीपिका मालवीय के स्थान पर.

जबलपुर दिनांक 17 मई, 2013

क्र. 621-गोपनीय-2013-दो-3-250/57-(भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुश्री रिजवाना कौसर, (ट्रेनी जज)	रायसेन	अनूपपुर	अनूपपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अनूपपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज), की हैसियत से.

टिप्पणी:—सुश्री रिजवाना कौसर, प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रायसेन का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर किये जाने की सहमति देने के आधार पर विचारोपरांत किया गया है। इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

जबलपुर दिनांक 21 मई 2013

क्र. 628-गोपनीय-2013-दो-3-1/2012(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती नीलम शुक्ला, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	इंदौर	इंदौर	इंदौर	सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, की हैसियत से श्री राकेश कुमार शर्मा के स्थान पर.
2	श्री सुशील कुमार जोशी, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री अखिलेश कुमार धाकड़ के स्थान पर.

जबलपुर दिनांक 22 मई 2013

क्र. 634-गोपनीय-2013-दो-3/250/57(भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती ऋष्टुश्री उड़िके (ट्रेनी जज),	धार	इंदौर	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज), की हैसियत से.

टिप्पणी:— श्रीमती ऋष्टुश्री उड़िके, प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार का स्थानांतरण उनके स्वयं के व्यय पर, विचारोपरांत किया गया है। इसलिये उन्हें स्थानांतरण यात्रा व्यय की पात्रता नहीं होगी।

क्र. 637-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 1-2012-इक्कीस-ब-एक (मेरिट क्रमांक), दिनांक 6 अप्रैल, 2013 एवं 10 मई, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विजय कुमार पाठक	भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्रीमती आकांक्षा कत्याल	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री अरविन्द सिंह	टीकमगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, टीकमगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री प्रदीप सोनी	होशंगाबाद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, होशंगाबाद के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	सुश्री रुचिता गुर्जर	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, नीमच के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	सुश्री बन्दना मालवीय	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	सुश्री रूपाली भलावी	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	श्री विक्रम सिंह डावर	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	सुश्री रश्मि मण्डलोई	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डलेश्वर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 6th May 2013

No. 594-2013-III-6-3-57-IX.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. B-3210-III-6-3-57-IX, dated 20th August 2008, the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the Table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property—(unlawful possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168, 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions, of this Act in which Judicial Magistrate First Class can take cognizance, arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue District shown in Column No. (4) of the said Table with effects from the date of his assumption of charge of his office namely:—

TABLE

S.No.	Name of Magistrate (1)	Head Quarter (2)	Local Area (4)
1	Shri Om Prakash Singh, Raghuvanshi JMFC, Gwalior.	Gwalior	Gwalior, Morena, Bhind, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Chhatarpur, Sagar, Vidisha, Bhopal, Damoh, Satna, Sheopur, Jabalpur, Katni, Sidhi, Rewa, Guna, Shajapur, Rajgarh and Sehore.

जबलपुर, दिनांक 14 मई 2013

क्र. ए-2614-तीन-6-2-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर निम्नलिखित सारणी के संबंध क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान संबंध क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः विचारण हेतु विशेषता सशदत्त करता हैः—

सारणी

क्रमांक	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मयंक मोदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मुरैना	मुरैना
2	श्री दिनेश सिंह राना, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मुरैना	मुरैना
3	श्री अभिषेक गोयल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मुरैना	मुरैना
4	श्री नीरज शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	अम्बाह	मुरैना
5	श्री ओ. पी. सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	अम्बाह	मुरैना
6	श्री पंकज शर्मा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	जौरा	मुरैना
7	श्री राधवेन्द्र भारद्वाज, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सबलगढ़	मुरैना
8	श्री एम. के. वर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सबलगढ़	मुरैना
9	श्रीमती सोनल चौरसिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दमोह	दमोह
10	श्री अरविंद कुमार बारला, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	दमोह	दमोह
11	श्री सी. एस. सैयाम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	हटा	दमोह
12	श्री मातादीन रजक, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
13	श्री विनोद कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
14	श्री आर. पी. अहिरवार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	भिण्ड	भिण्ड
15	श्री रोहित सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मेहगांव	भिण्ड
16	श्री एम. एस. ताराम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	निवास	मण्डला
17	श्री चैनवती ताराम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मण्डला	मण्डला
18	श्री उमेश सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मैहर	सतना
19	श्री सुधांशु सिंहा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मैहर	सतना
20	श्रीमती सोनल पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शाजापुर	शाजापुर
21	श्री अफजल खान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शाजापुर	शाजापुर
22	श्री आशीष परसाई, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	शुजालपुर	शाजापुर
23	श्री अजय रामावत, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	आगर	शाजापुर
24	श्री विश्वदीपक तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	मउगंज	रीवा
25	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	त्यौथर	रीवा
26	श्रीमती शिल्पा तिवारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
27	कुमारी नेहा बंसल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	रीवा	रीवा
28	श्री प्रशांत पाण्डे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	सिरमौर	रीवा
29	श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	आष्टा	सीहोर
30	श्री निरंजन कुमार पांचाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	इच्छावर	सीहोर
31	श्री आशीष श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी	आष्टा	सीहोर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी. ई.).